भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

भारत के अनिवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर विधि

रिपोर्ट संख्या 287

फरवरी, 2024

22वें विधि आयोग का गठन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ संख्या 45021/ 1/2018-प्रशासन-III(एलए) दिनांक 21 फरवरी, 2020 के द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। 22वें विधि आयोग की अवधि का विस्तार आदेश संख्या एफए 60011/225/2022-प्रशा.III(एलए) दिनांक 22 फरवरी 2023 द्वारा बढ़ाया गया था। विधि आयोग में एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव, दो पदेन सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष
माननीय न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी

पूर्णकालिक सदस्य
माननीय न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन
प्रो. (डॉ.) आनंद पालीवाल
प्रोफेसर डी.पी. वर्मा

सदस्य सचिव
डॉ. रीटा वशिष्ठ

पदेन- सदस्य
डॉ. राजीव मणि, सचिव,विधायी विभाग और सचिव, विधि कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार)

अंशकालिक सदस्य
श्री एम. करुणानिधि
प्रो. (डॉ.) राका आर्या

विधि अधिकारी
श्रीमती वर्षा चंद्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी और
श्री अतुल कुमार गुप्ता, उप विधि अधिकारी

विधि परामर्शी
श्री ऋषि मिश्रा, सुश्री दीक्षा कल्सन, डॉ. तरूणा सोलंकी,
श्री गौरव यादव, श्री गोविंद गुप्ता, सुश्री स्वीकृति महाजन,
श्री शुभांग चतुर्वेदी, श्री कुमार अभिषेक, श्री अनुभव दुबे,
सुश्री प्रिया राठी, सुश्री शानिवी सिंह, श्री अनिमेष पारीक,
सुश्री रुचिका यादव, सुश्री रितु थॉमस,
सुश्री दीपिका चौधरी, सुश्री शिवांगी शुक्ला

विधि आयोग स्थित है-
दूसरी और चौथी मंजिल ,पर
बी विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली-110003 परस्थित है

इस रिपोर्ट का पाठ निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है-
www.lawcommissionofindia.nic.in
भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

Justice Ritu Raj Awasthi
(Former Chief Justice of High Court of Karnataka)
Chairperson
22nd Law Commission of India

न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी
(सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटका उच्च न्यायालय)
अध्यक्ष
भारत के 22वें विधि आयोग

D.O. No. 6(3)335/2023-LC(LS) तारीख 15 फरवरी, 2024

माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी,

नमस्कार!

मुझे, **"अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर विधि"** पर भारत के विधि आयोग की **रिपोर्ट संख्या 287,** आपको अग्रेषित करते हुए प्रसन्नताहो रही है। पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान लाखों भारतीय विदेश जाकर बस गए हैं। भारत में स्थायी रूप से निवास न करने के बावजूद, इनमें से एक बड़ी संख्या अभी भी भारत की नागरिकता रखे हुए हैं दूसरी ओर इनमें से बड़ी संख्या में प्रवासी विदेशी नागरिक बन गए हैं। जिन देशों में वे रह रहे हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को व्यापक रूप से समृद्ध बनाते हुए,वे भारत में लोगों के साथ रक्त और वैवाहिक संबंध बनाए रखना जारी रखते हैं। एक तरफ अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक और दूसरी तरफ भारतीय नागरिक के बीच होने वाले ऐसे अंतर-देशीय विवाहों के परिणाम स्वरुप ऐसे रिश्तों से उत्पन्न होने वाले विधिक मुद्दों में तेजी से वृद्धि हुई है।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा भारतीय पुरुष या स्त्री से विवाह से जुड़ी कपटपूर्ण विवाहों की बढ़ती घटनाएं एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। कई रिपोर्टें ऐसे बढ़ते पैटर्न को उजागर करती हैं जहां ये विवाह भारतीय पतियों या पत्नियों, विशेषकर महिलाओं को विपत्ति जनक स्थितियों में रखते हुए धोखेबाज साबित हुए हैं। ऐसे कपट पूर्ण विवाहों में प्रवंचित व्यव्हार जैसे मिथ्या आश्वासन, दुर्व्यपदेशन और परित्याग एक सामान्य बात है जिससे भारतीय पुरुष या स्त्री को कष्ट होता है। इन विवाहों की अंतर-देशीय प्रकृति भेद्यता को और अधिक बढ़ा देती है, इससे प्रभावित व्यक्तियों के लिए विधिक उपचार और सहायता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसी चुनौतियों, जैसे वित्तीय शोषण और बहु-अधिकारिताओं से सम्बंधित जटिल पहलुओं से ऐसे विवाहों में सम्मिलित लोगों द्वारा कठिनाई का सामना करने में योगदान मिलता है।

ऐसी उभरती स्थिति से निपटने के लिए, सरकार द्वारा राज्यसभा में 11 फरवरी, 2019 को अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 पुर:स्थापित किया गया था। प्रारंभ में, सोलहवीं लोकसभा ने विधेयक को विदेश मामलों की समिति (2018-2019) को भेजा। तत्पश्चात्, सत्रहवीं लोकसभा के गठन के पश्चात् उसी विधेयक को फिर से और परीक्षा करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विदेश मामलों की समिति (2019-2020) को भेजा गया। विचार-विमर्श को आगे बढ़ाते हुए, विधि आयोग को विदेश मंत्रालय से विधि और न्याय मंत्रालय के पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के माध्यम से एनआरआई विधेयक, 2019 पर एक निर्देश प्राप्त हुआ।

तात्कालिक विषय-वस्तु से संबंधित विधि जिसके अंतर्गत एनआरआई विधेयक, 2019 भी है, और इस मुद्दे से संबंधित व्यावहारिक कठिनाइयों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् आयोग कि यह सुविचारित राय है कि प्रस्तावित केंद्रीय विधान, एनआरआई के साथ-साथ भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों का भारतीय नागरिकों के साथ विवाह से जुड़े सभी पहलुओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यापक होना चाहिए। ऐसा विधान न केवल एनआरआई पर ही लागू नहीं होना चाहिए अपितु उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होना चाहिए जो 'भारत के विदेशी नागरिक' (ओसीआई) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ए के अधीन अधिकथित किया गया है। यह भी सिफ़ारिश की जाती है कि सभी एनआरआई/ओसीआई और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह को अनिवार्य रूप से भारत में रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। उक्त व्यापक केंद्रीय विधान में विवाह विच्छेद,पति या पत्नी का भरण-पोषण, बालको की अभिरक्षा और भरण-पोषण, समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेज़ों की एनआरआई/ओसीआई पर तामील इत्यादि के उपबंध भी शामिल होने चाहिए । यह भी सिफ़ारिश की जाती है कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा, एक पति या पत्नी के पासपोर्ट को दूसरे के साथ जोड़ना और दोनों पति-पत्नी के पासपोर्ट पर विवाह रजिस्ट्रीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य बनाने के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत में राज्य महिला आयोगों और विदेशों में गैर सरकारी संगठनों और भारतीय संघों के सहयोग से उन महिलाओं और उनके परिवारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जो एनआरआई/ओसीआई के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले हैं। तदनुसार, यह रिपोर्ट आपके परिशीलन के लिए प्रस्तुत की जा रही है ।

आदर सहित

भवदीय

(न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी)

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कानून एवं न्याय मंत्रालय ,भारत सरकार
शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001

ऑफिस का पता: कमरा नंबर 405, चौथी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
Offica Address : Room No. 405, 4th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
निवास का पता-बंगला नंबर 8,
तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली, 110011
Residence Address- Bungalow No. 8, tees January marg , New Delhi, 110011

अभिस्वीकृति

आयोग उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है जिन्होने "अनिवासी भारतीयों और भारत के विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर विधि" पर इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उदारतापूर्वक योगदान दिया। हम, इस विषय-वस्तु के बारे में आयोग की समझ में वृद्धि करने के लिए विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम श्री अमित कुमार मिश्रा, निदेशक, और मंत्रालय के विधिक परामर्शी सुश्री रेबा अल्बा राजन का योगदान विशेष रूप से स्वीकार करते हैं जिन्होंने सुसंगत विषय पर टिप्पणियां और प्रस्तुतियां प्रदान करने के लिए अपना बहुमूल्य समय समर्पित किया।

आयोग, विधिक परामर्शी के रूप में कार्यरत **श्री ऋषि मिश्रा, श्री गौरव यादव, सुश्री दीक्षा कल्सन, श्री कुमार अभिषेक, सुश्री शिवांगी शुक्ला, और सुश्री स्वीकृति महाजन** के मेहनती प्रयासों को भी स्वीकार करता है। हम गहन अनुसंधान करने और इस रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने में उनके महत्वपूर्ण इनपुट की सराहना करते हैं। हम उनकी कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक प्रयासों के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं जिनसे यह रिपोर्ट सफल हुई है।

विषय-सूची

1. परिचय……………………………………………………………………..….7

A.अनिवासी भारतीयों के विवाह से संबंधित समस्याएं…………………………….......7

B.अन्य मंत्रालयों और समितियों द्वारा मुद्दों की परीक्षा……………………………......11

C. विधि आयोग को निर्देश..…………………………………………..….12

D.विधि आयोग की पूर्व रिपोर्टें……………………………………………..….14

E.*विधि आयोग द्वारा परामर्श*……………………………………………...….16

2. विधिक मुद्दे और नीति संबंधी विचार विमर्श…………….………….................18

A. *विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण*………………………………………….…...19

(i) विधायी सक्षमता……………………………………………………......19

(ii) प्रस्तावित विधान के लागू होने की व्याप्ति…………………………...….….22

(iii) एक मजबूत प्रक्रिया की आवश्यकता…………………………………..…24

(iv) विवाह प्रमाणपत्र का सार……………………………………………....27

(v) एनआरआई विधेयक, 2019 के अधीन संभावना………………………………… 27

B.*व्यापक विधान*………...…………………………………………………...29

(i) विषय-वस्तु का विस्तार…………….…………………………………...29

(ii) अधिभावी प्रभाव……………………………………………………....31

C.*पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन* ………………………………………....32

D. *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन*…………………………………………...33

(i)दंड प्रक्रिया की पुरानी योजना…………………………...……...…………..33

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023की नई व्यवस्था…………....…………35

E.*पासपोर्ट का वापस लिया जाना*…………………………………………………36

F.*भारतीय पति या पत्नी का परित्याग*………...……………………………….....39

(i) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908………………….…………………..………..39

(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की व्याप्ति………………...…………..………41

G.*सम्मन या वारंट की तामील*……………………………………………………...43

(i)इलेक्ट्रॉनिक संसूचना……………………….....…………………………….43

(ii) हेग अभिसमय, 1965…………………………………………….……….44

(iii) पारस्परिक विधिक सहायता संधि……………………………………………...46

H. अनिवासी भारतीय के विवाह का रजिस्ट्रीकरण और मुस्लिम स्वीय विधि…………...47

3. निष्कर्ष………………………………………………………………………...50

4. अनुशंसाएं ……………………………………………………………….......56

परिचय

ए. अनिवासी भारतीयों के विवाह से संबंधित समस्याएं

1.1 पिछली कुछ सदियों में बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में बस गए हैं । यह भारतीय प्रवासी विभिन्न देशों में फैला हुआ है, और उनराष्ट्रों के,जिसमें वे निवास कर रहे हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में योगदान देता है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 5 अक्टूबर, 2023 तक 3,22,85,425 लोग विदेशों में बसे हुए हैं। इस में से 1, 36, 01, 780 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं और 1, 86, 83, 645 भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) हैं।[1] चाहे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व में हों या दुनिया के अन्य हिस्से में हों, भारतीय प्रवासी अपनी मातृभूमि के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए अपने मेज़बान देशों के लिए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। दरअसल, भारतीय प्रवासी, विशेष रूप से एनआरआई, अक्सर सीमा पार वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं । इस समुदाय के भीतर कई व्यक्ति विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ संबंध बनाते और विवाह करते हैं। प्रवासी भारतीयों में अंतर्देशीय विवाहों की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ ही इन विवाहों से जुड़े विधिक मुद्दों में समवर्ती वृद्धि हुई है ।

1.2 एनआरआई के भारतीय पति या पत्नी से विवाह करने के संबंध में कपटपूर्ण विवाह की घटनाओं का बढ़ना एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है। विभिन्न रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि भारतीय पतियों या पत्नियों, विशेषकर महिलाओं को चुनौती पूर्ण स्थितियों के प्रति करते हुए इस तरह के विवाहों के कपटपूर्ण साबित होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।[2] ऐसे कपटपूर्ण विवाहों में प्रवंचित व्यव्हार जैसे मिथ्या आश्वासन, दुर्व्यपदेशन और परित्याग एक सामान्य बात है जिससे भारतीय पुरुष या स्त्री को कष्ट होता है। ऐसे विवाहों की अंतर्देशीय प्रकृति होने के कारण ऐसी स्थिति में सुभेद्यता में तीव्रता आई है जिससे उनके द्वारा विधिक आश्रय और सहायता लेना चुनौती पूर्ण हो गया है। ऐसे मुद्दों से जैसे परित्याग ,वित्तीय शोषण और बहु विधि अधिकारिताओं से सम्बंधित विधिक जटिलताओं से ऐसे विवाहों में सम्मिलित लोगों द्वारा कठिनाई का सामना करने में योगदान मिलता है ।

[1]देखें, https://www.mea.gov.in/population-of-overseas-indians.htm (अंतिम बार 10 फरवरी, 2024 को देखा गया)

[2]राष्ट्रीय महिला आयोग, एनआरआई विवाह से संबंधित समस्याओं पर रिपोर्ट एनआरआई मैनेजमेन्ट पर विधिक और अन्य हस्तक्षेप, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली (2011)। यह रिपोर्ट प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है।

1.3 पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में एनआरआई द्वारा विवाहित महिलाओं के अभित्येजन पर राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्थान(नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक को ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट) द्वारा आयोजित एक अध्ययन ने एनआरआई द्वारा भारतीय साझेदार से होने वाले विवाहों के बारे में कपटपूर्ण विवाहों से जुड़ी व्यापकता और चिंताओं को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार पंजाब में ऐसे विवाहों में से 60% विवाह मुख्य रूप से विवाह के रजिस्ट्रीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी, एनआरआई द्वारा समय की पाबंदी का सामना करने और पति के दूसरे विवाह की वैधता से संबंधित चिंताओं के कारण रजिस्ट्रीकृत नहीं किये गये थे।[3] अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे विवाहों में से 23% विवाह रजिस्ट्रीकृत नहीं थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मुद्दे के पीछे प्राथमिक कारण यह है कि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के बाद विवाह का अनुष्ठान या संविदा विवाह विच्छेद की डिग्री अभिप्राप्त किये बिना किये जाते हैं जो विधि की दृष्टि से अमान्य है।[4] रिपोर्ट में एक विशिष्ट सामाजिक पहलू यह बताया गया है कि ये मामले मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के भीतर देख गये हैं जहां आम तौर पर एक व्यापक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली का अभाव है।[5]

1.4 इन वैवाहिक संबंधों में, व्यक्ति अक्सर उन्नत शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों के साथ अधिक सामाजिक सुरक्षा की प्रत्याशा करते हैं तथापि ऐसे विवाहों के पक्षकार बेहतर भविष्य की खोज में, अक्सर उचित सावधानियां और तथ्यों के गहन सत्यापन की अनदेखी कर देते हैं। पारंपरिक विवाहों के विपरीत जहां प्राय: सम्यक तत्परता अन्तर्वालित होती है, एनआरआई के साथ विवाह महत्वपूर्ण ब्योरों जैसे पूर्ववृत्त, वैवाहिक प्रास्थिति, व्यवसाय, कार्यस्थल और आय के पर्याप्त सत्यापन के बिना जल्दबाजी में घटित हो सकता है। यहां तक कि कई विवाह रजिस्ट्रीकरण के बिना और एनआरआई की पृष्ठभूमि के उचित सत्यापन तथा पारदर्शिता के बिना कर दिये जाते हैं। इस अन्वेक्षा से व्यक्तियों को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसके अन्तर्गत परित्याग, घरेलू हिंसा, विवाहेत्तर संबंध, वीज़ा या आप्रवासन प्रक्रियाओं में विलम्ब, और यहां तक कि विवाह विच्छेद की एक पक्षीय डिक्री भी है।[6]

1.5. जो महिलाएं खुद को विदेश में अकेली पाती हैं, उनके लिए भाषाई बाधाओं का सामना और मित्रों और परिवार से सहायता नेटवर्क की कमी के कारण चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसी भेद्य स्थितियों में,

---

[3]राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, "चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा विवाहित महिलाओं के परित्याग पर एक अध्ययन।"पंजाब और आंध्र प्रदेश में अनिवासी भारतीय", 46 पर (नई दिल्ली, 2007)।

[4]पूर्वोक्त

[5] Id 47

[6]विदेश मंत्रालय, "प्रवासी भारतीयों से विवाह: एक मार्गदर्शन पुस्तिका", 9-10 (2019) पर ।

महिलाओं को शारीरिक और मानसिक कष्ट, मानसिक शोषण, परिरोध, कुपोषण, और पतितथा नातेदारों से दुर्व्यवहार झेलना पड़ सकता है। अलगाव हिंसा का दूसरा रूप बन जाता है, क्योंकि इन महिलाओं को अपने माता-पिता से संपर्क करने और मेल बॉक्स तक पहुंच से निर्बन्धित कर दिया जाता है। इस अलगाव का डर अक्सर पीड़ितों को चुप करा देता है तथा उन्हें बोलने से रोक देता है। किसी विदेशी राष्ट्र में आगमन पर, कुछ महिलाओं को पता चलता है कि उनके पतियों ने उनके आप्रवासन प्रास्थिति, नौकरी, संपत्ति, वैवाहिक प्रास्थिति, और अन्य महत्वपूर्ण ब्योरों के बारे में गलत जानकारी दी थी। छलसाधन रणनीति जिसके अन्तर्गत महिला को झूठे बहाने बनाकर भारत वापस लाना शामिल हो सकता है जहां उसे उसके पासपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज़ों से वंचित कर दिया जाता है, जिससे वह असहाय हो जाती है । एक विशिष्ट चुनौतीपूर्ण परिदृश्य किसी विदेशी न्यायालय में किसी एनआरआई पति द्वारा उसके प्रतिरक्षा रहित पति या पत्नी की जानकारी और सहमति के बिना किए गए के एक पक्षीय विवाह विच्छेद के मामलों में उत्पन्न होता है । ऐसे विवाह विच्छेद मिथ्या जानकारी और जाली दस्तावेजों पर आधारित हो सकते हैं तथा इन संकटपूर्ण स्थितियों में महिलाओं को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।

1.6 इस प्रकार, विवाहित महिलाओं का उनके एनआरआई पतियों द्वारा अभित्येजन एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। पति या पत्नी को बिना किसी सहायता या जीविका के साधन के और यहाँ तक कि वहां रहने के लिए वीज़ा के बिना भी विदेश में परित्याग कर दिया जाता है। भरण पोषण या विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय जाने पर उन्हें न्यायालय की अधिकारिता, नोटिस या आदेशों की तामील या आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित विधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में, एनआरआई पति जानबूझकर विवाह का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराते। यह जानबूझकर किया गया लोपतब एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाता है जब कोई पति या पत्नी विदेश में अपने पति या पत्नी से मिलने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं क्योंकि विवाह प्रमाण पत्र की कमी के कारण उसका आवेदन अपूर्ण समझा जाता है। कभी-कभी विदेश में रहने वाले पति या पत्नी द्वारा मामले को और जटिल करते हुए विवाह की घटना को सिरे से नकार भी दिया जाता है। इस प्रवृत्ति से एनआरआई समुदाय मेंइस तरह के अरजिस्ट्रीकृत विवाह के बढ़ते प्रचलन के कारण काफी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

1.7 भारतीय महिलाओं का उनके एनआरआई पतियों द्वारा अभित्येजन के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, जनरल (डॉ.) वी.के.सिंह(सेवानिवृत्त), तत्कालीन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, ने बताया कि मंत्रालय को वर्ष 2016 में 1510 और

2015 में 796 की तुलना में 2017 में 1022 याचिकाएं प्राप्त हुईं। जनवरी, 2018 और 30 जुलाई, 2018 के बीच, मंत्रालय को 765 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका निवारण किया गया।[7] अपनी शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए पक्षकार अक्सर राज्यों के प्राधिकारियों के पास चले जाते हैं। भारत में कई राज्यों के पुलिस स्टेशनों में अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा कपटपूर्ण कार्यों के संबंध में अत्यधिक शिकायतें प्राप्त होती है। आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस के हस्तक्षेप में काफी देरी होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दाखिल करने के बाद भी विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अयुक्तियुक्त विलम्ब होता है, जो पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को बढ़ाती है। दुर्भाग्य से इन मुद्दों के प्रति असंवेदनशीलता पीड़ितों को और भी अधिक भेद्य बना देती है। कतिपय दबावों के अधीन कभी-कभी एनआरआई अभियुक्त के नाम को शिकायतों से हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब एफआईआर में नामित आरोपी एनआरआई पति या उनके माता-पिता अपने गृह नगर जाते हैं तो प्राधिकारी अक्सर उन्हें गिरफ्तार करने या उनके पासपोर्ट परिबद्ध करने की कार्रवाई करने में विफल रहते हैं। अप्रवासन प्राधिकारियों को लुकआउट नोटिस जारी करने में विलम्ब भी अभियुक्त व्यक्तियों को विदेश भागने में समर्थ बनाते हैं।

1.8 इस प्रकार, अन्य देशों में एनआरआई द्वारा विवाहित महिलाओं का परित्याग और उनका घरेलू हिंसा की शिकार होना एक गंभीर समस्या है। वे अक्सर अपने एनआरआई पतियों द्वारा वित्तीय और शारीरिक शोषण सहन करती हैं और फिर भी विडंबना यह है किएक समर्पित विधिक ढाँचे के अभाव में, पीड़ितों को कोई विधिक सुरक्षा नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अधिकारिता संबंधी मामलों, नोटिस की तामील और आदेशों और डिक्रियों का प्रवर्तन सहित प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि से सम्बंधित कई विधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से एनआरआई से जुड़े विवाहों में महिलाओं के लिए प्रभावी विधिक आश्रय की कमी है।

1.9 चार प्रमुख समुदायों - हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी की, विवाह और अन्य सहायक मुद्दे शासित करने वाली अपनी या तो संहिताबद्ध या असंहिताबद्ध स्वीय विधियां हैं, । इन विधियों के अतिरिक्त, वहाँ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 है। तथापि, भारत में सभी के लिए समान रूप से लागू कोई एकरूप विवाह विधि नहीं है। देश के अधिकांश राज्यों में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए विधान अधिनियमित किया गया है। तथापि, कुछ राज्यों में विवाह रजिस्ट्रीकरण के संबंध में नियमों में भिन्नताएं हैं। परित्यक्त दुल्हनों की समस्याओं से संबंधित

[7]लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3623 (8 अगस्त, 2018)

मामलों के मद्देनजर एनआरआई के विवाह के रजिस्ट्रीकरण पर भारत सरकार की विभिन्न निकायों द्वारा विचार किया गया है ।

बी. अन्य मंत्रालयों और समितियों द्वारा मुद्दों की जांच

1.10 एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा पर महिला सशक्तिकरण समिति (2006-2007) द्वारा चर्चा शुरू की गई थी। 2007 में लोकसभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में विधिक हस्तक्षेप के विस्तार और सीमाओं के साथ-साथ विभिन्न निकायों की भागीदारी, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन, विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और विदेश में मिशन में अलग प्रकोष्ठ के सुझाव दिए गए थे।[8]

1.11 विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति (2011-2012) द्वारा वर्ष 2012 में लोक सभा में एक और जवाब प्रस्तुत किया गया । रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई थीं, जिसके अंतर्गतराज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनआरआई के विरूद्ध न्यायालय के आदेशों के बारे में जानकारी आप्रवासन अधिकारियों को संप्रेषित करने की आवश्यकता भी थी, ताकि अभियुक्त एनआरआई को न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध भारत छोड़ने से रोका जा सके। एक अन्य सिफारिश ऐसे मामलों की नियमित निगरानी के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए थी।[9]

1.12 विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-2013) ने स्थायी समिति की पिछली सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 2013 में लोकसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समस्या के समयबद्ध समाधान के लिए एकल खिड़की के लिए एक और सिफारिश की गई, साथ ही दूतावासों और विदेशी मिशनों को सार्थक सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश देने के सुझाव भी दिए गए। 21 अगस्त, 2012 को विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों से मिलकर एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय का गठन किया गया, जबकि एनआरआई के साथ विवाह के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में एक "एनआरआई प्रकोष्ठ" आरंभकिया गया।[10]

---

[8]महिला सशक्तिकरण समिति, "एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा पर रिपोर्ट" (2006-2007) 67 -68 (प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय, 13 अगस्त, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत)।

[9]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2011-2012)। "विदेशी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याएं: विदेशी भारतीय पतियों द्वारा जन्मी भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता/पुनर्वास प्रदान करने की योजनाएं", सिफारिश संख्या 12 और 14, 32-33 पर, पैरा 3.34 और 3.36; लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (जून 2012)।

[10]विदेश मामलों की स्थायी समिति, "विदेशी भारतीय विवाहों से संबंधित समस्याएं: अपने विदेशी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता/पुनर्वास प्रदान करने की योजनाएं" विषय पर पंद्रहवीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई" (2012-2013), सिफारिश संख्या 2 और 4, 2-5 पर, पैरा 5, 6 और 11; लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (मई 2013)।

1.13 21 दिसंबर, 2017 को भारतीय संसद को सूचित किया गया कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों को 2015-2017 के दौरान अपने एनआरआई पतियों के साथ वैवाहिक विवादों के बारे में भारतीय महिलाओं से 3,328 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ऐसी महिलाओं के सामने आने वाली विधिक और नियामक चुनौतियों की समीक्षा करने और अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा अपनी पत्नियों का परित्याग करने से रोकने के लिए जून 2018 में एक अंतर-मंत्रालयी पैनल का गठन किया गया, जिसने विधि और न्याय मंत्रालय से अंतर-मंत्रालयी पैनल द्वारा किए गए विनिश्चयों को प्रभावी बनाने के लिए विधिक संशोधन का एक प्रारूप तैयार करने को कहा।[11]

1.14 अनिवासी भारतीयों केविवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 (जिसे इस में इसके पश्चात् "एनआरआई विधेयक, 2019" कहा गया है) 11 फरवरी, 2019 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक को पहली बार सोलहवीं लोक सभा द्वारा विदेश मामलों की समिति (2018-2019) को भेजा गया था, और सत्रहवीं लोक सभा के गठन के बाद 4 अक्टूबर, 2019 को आगे और परीक्षा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसी विधेयक को विदेश मामलों की समिति (2019-2020) को फिर से भेजा गया था। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के साथ परामर्श के बाद, इस विधेयक को समिति द्वारा 12 मार्च, 2020 को,अपने विधेयक में दिए गए सुझावों/सिफारिशों को समुचित रूप से या समुचित रीति के माध्यम से सम्मिलित किये जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दिया गया ।[12]

सी. विधि आयोग को निर्देश

1.15 विदेश मंत्रालय के निर्देशाधीन एनआरआई विधेयक, 2019 से संबंधित विदेश मामलों की समिति (2019-2020) की सिफारिशों पर चर्चा के पश्चात्, संबंधित हितधारकों मंत्रालयों/विभागों से और जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा गया। भारत के विधि आयोग को एनआरआई विधेयक, 2019 पर विधि और न्याय मंत्रालय के दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के पत्र के माध्यम से विदेश मंत्रालय का निर्देश प्राप्त हुआ।

---

[11] "एनआरआई पतियों को अब एक सप्ताह के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना होगा, पासपोर्ट पर वैवाहिक स्थिति अपडेट करनी होगी", हिंदुस्तान टाइम्स, 14 जून, 2018, https://www.hindustantimes.com/india-news/nri-husbands-will-have-to-register-marriages within-a-week-update-marital-status-on-passports/story-wbxgisAdxwgCL2hvMhjJrN.htrnl (अंतिम बार फरवरी 04,2024 को देखा गया)।

12 विदेश मामलों की समिति (2019-2020), "अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण, 2019", संकल्प संख्या 9, 41-42, भाग 2.48, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (मार्च 2020)

1.16 विधि आयोग से निम्नलिखित पर अपने इनपुट देने को कहा गया है:[13]

"(i) क्या भारत सरकार, अपनी विद्यमान विधि के माध्यम से एनआरआई विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध कर सकती है? यदि नहीं, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा किस प्रकारके विधान को लाया जा सकता है?

(ii) 17वीं लोकसभा की स्थायी समिति [विदेश मामलों की समिति (2019-2020)] ने "अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019" पर अपनी तीसरी रिपोर्ट दिनांक 12.03.2020 (सिफारिश संख्या 2) में यह राय व्यक्त की कि एनआरआई विवाह से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित किया जाए, जिसके अंतर्गत ऐसे विवाहों में विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता के मुद्दे भी हों। क्या विधि और न्याय मंत्रालय/महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने पहले से विद्यमानविधान में ऐसे मुद्दों पर विचार किया है? यदि नहीं, तो विधि और न्याय मंत्रालय/महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस तरह का विधान लाया जा सकता है?

(iii) अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करना चाहा गया है । पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के कौन से विद्यमान उपबन्ध है जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है? क्या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में ऐसे ततस्थानी संशोधन करने के लिए नये खंड / नई धाराएं जोड़ी जाएंगी?

(iv) अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करना चाहा गया है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के के कौन से विद्यमान उपबन्ध है जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है? क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में ऐसे ततस्थानी संशोधन करने के लिए नये खंड / नई धाराएं जोड़ी जाएंगी?

(v) अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करना चाहा गया है, जो पासपोर्ट प्राधिकारियो को प्रवर्तन उद्देश्य के लिए एनआरआई के पासपोर्ट को परिबद्ध करने /वापस लेने के लिए सशक्त करता है । यह संशोधन कैसे लाया जा सकता है और विवाह के रजिस्ट्रीकरण को, यदि और जब कभी अनिवार्य किया जाए, सुनिशचित करने के लिए क्या तंत्र होगा?

(vi) ऐसी महिला की सुरक्षा के लिए विधायी साधन क्या हैं जो किसी एनआरआई से विवाह करती है और या तो उसका परित्याग कर दिया जाता हैया वह अपने वैवाहिक अधिकारों तक पहुँचने में असमर्थ होती है क्या विद्यमान विधानमें कोई ततस्थानी उपबन्ध हैं। यदि नहीं, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस प्रकार का विधान लाया जा सकता है?

(vii) क्या 'अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019' के अध्याय V में यथा विहित दण्ड न्यायालयों के समन/आदेशिका की तामील की कोई वैकल्पिक रीति है। क्या आदेशिका जारी किये जाने को एनआरआई पति या पत्नी के व्हाट्सएप या ईमेल अथवा उनके नियोक्ता के माध्यम से प्रभावीकिया जा सकता है, जैसा कि भारत में प्रचलित

[13]विदेश मंत्रालय (ओआईए-ii प्रभाग), कार्यालय ज्ञापन संख्या 01-19013/93/2018-ओआईए-आईटी, दिनांक 03 अप्रैल, 2023।

है? क्या समन/ आदेशिका की तामील की ऐसी वैकल्पिक रीति उन देशों में प्रभावित हो सकती है जहाँ डाटा गोपनीयता विधि लागू हैं?

(viii) अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 के अधीन विवाह के रजिस्ट्रीकरण की वहां क्या प्रक्रिया है, जहां आवेदक एनआरआई मुस्लिम पर्सनल विधि द्वारा शासित होता है और उसके एक से अधिक पत्नी हो सकती हैं?"

D. विधि आयोग की पूर्व रिपोर्टें

1.17 उपर्युक्त निर्देशाधीन आठ प्रश्न अनिवासी भारतीयों के विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की समस्याओं, व्यापक विधान, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन, सम्मन और विवाह विच्छेद की प्रक्रिया और भारतीय पति-पत्नी के अभित्येजन से संबंधित हैं। विधि आयोग ने 1976, 2008, 2009 और 2018 में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और विवाह विच्छेद की विदेशी डिक्री जैसी कुछ समस्याओं पर विचार किया था।

1.18 आयोग की 65वीं रिपोर्ट (1976) में, भारत में विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण की विदेशी डिक्री की मान्यता के प्रश्न पर विचार किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि विदेश में पर्याप्त न्याय और और उससे संबंधित मामलों को मान्यता देने के लिए विधि को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किसी विदेशी न्यायालय द्वारा, जिसकी अधिकारिता में प्रतिवादी कभी भी प्रस्तुत नहीं हुआ, अनुपस्थिति में पारित की गई डिक्री, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा पूर्ण रूप से अकृत है। विधि आयोग ने श्रीमती सत्या बनाम तेजा सिंह में उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षण को अनुमोदन के साथ उत्कथित किया, कि:

> *"...ऐसी किसी भी विधि में अधिकारिता संबंधी तथ्यों पर कपट से प्राप्त विदेशी डिक्री को मान्यता न देने के साथ ही उन डिक्रियों को,जो हमारी लोक नीति के विरुद्ध हैं, मान्यता न देने का उपबंध भी होगा। तब तक, न्यायालयों को घोर अन्याय से बचने के लिए अपने अवशिष्ट विवेक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि निजी अंतरराष्ट्रीय विधि का कोई भी नियम पत्नी को पति द्वारा छल से प्राप्त डिक्री को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे डिक्री हमारे पर्याप्त न्याय की धारणाओं के विरुद्ध हैं।"*[14]

[14]भारतके विधि आयोग, 65वीं रिपोर्ट (1976), विदेशी विवाह विच्छेद की मान्यता, पैरा 1.8पर।

आयोग ने सिफारिश की कि किसी एक पक्ष के अधिवास, अभ्यस्त निवास या राष्ट्रीयता के आधार पर विदेशी विवाह विच्छेद को भारतीय विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकती है और विदेशी न्यायालयों के अनुषांगिक आदेशों को हमारे न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी नहीं माना जाना चाहिए।

1.19 बाल विवाह से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार करते हुए विधि आयोग की 205वीं रिपोर्ट (2008) में भारत में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित सिफ़ारिश की गई है:

> "*सरकार द्वारा सभी समुदायों, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदि का एक नियत अवधि के भीतर विवाह रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए*"।[15]

1.20 विधि आयोग की 211वीं रिपोर्ट (2008) में भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों में प्रचलित विवाह के रजिस्ट्रीकरण और विवाह विच्छेद संबंधी विधियों में भारी विविधता पर विचार किया गया है। इसने सिफारिश की है कि संसद को विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए एक ऐसी विधि अधिनियमित करनी चाहिए जो बिना किसी अपवाद या छूट के सम्पूर्ण भारत और सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म और स्वीय विधि कुछ भी हो । विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण पर संसदीय विधान न केवल संभव है बल्कि अत्यधिक वांछनीय भी है। इससे विवाह रजिस्ट्रीकरण से संबंधित मूल विधि में देशव्यापी एकरूपता आएगी और वांछित लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित विधि के अधीन नियम राज्य सरकारों द्वारा बनाए जा सकते हैं और इससे स्थानीय सामाजिक विविधताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। इसमें सम्यक रूप से अंत:स्थापित एक सर्वोपरी खंड के माध्यम से इसे अन्य सभी विधियों पर अधिभावी प्रभाव दिया जाना चाहिए।[16]

1.21 भारतके विधि आयोग की 212वीं रिपोर्ट (2008) में विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को सीधे संबोधित करने के बजाय विभिन्न पारिवारिक विधियों में विरोधाभाषों का हल करने के लिए एक विधि अधिनियमित करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया था। इसने सिफारिश की कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 दोनों को धार्मिक प्रथाओं और स्वीय विधियों से समझौता किए बिना विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। विधि आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि अंतर-सामुदायिक विवाहों के मद्देनजर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में "विशेष" शब्द पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के बीच होने वाले विवाहों को छोड़कर सभी विवाहों को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने की आवश्यकता है। तथापि, विधि आयोग विशेष विवाह

[15]भारतीयके विधि आयोग, 205वीं रिपोर्ट (2008), बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबद्ध कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव, पृष्ठ 44 पर।
[16]भारतीय विधि आयोग, 211वीं रिपोर्ट (2008), विवाह और विवाह विच्छेद की मान्यता पर विधि - विचार और सुधार के लिए एक प्रस्ताव, 34-39.

अधिनियम, 1954 की परिधि का विस्तार करने के प्रति अनिच्छुक था, क्योंकि इसके लिए विवाह की निषिद्ध डिग्री से संबंधित उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता होगी।[17]

1.22 विधि आयोग की 219वीं रिपोर्ट (2009) में यह विचार व्यक्त किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के खंड (ए).....का निर्वचन इस अर्थ में होना चाहिए कि केवल वह न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय होगा जिसे वह अधिनियम या विधि, जिसके अधीन पक्षकार विवाहित हैं, वैवाहिक विवाद पर विचार करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में मान्यता देती है। किसी भी अन्य न्यायालय कोतब तक अधिकारिता रहित न्यायालय माना जाना चाहिए जब तक कि दोनों पक्षकार स्वेच्छा से और बिना शर्त उस न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होने के लिए सहमत ना हो जाएं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में "सक्षम न्यायालय" का अर्थान्वयन भी इसी प्रकार किया जाना है।[18]

1.23 अपनी 270वीं रिपोर्ट (2018) में विधि आयोग ने अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से निपटने वाले व्यापक विधान की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। इसने विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया। विभिन्न वैवाहिक विधियों द्वारा शासित पारिवारिक विधि के मूल पहलुओं का पालन किए बिना, भारत के विधि आयोग ने केवल विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण पर जोर दिया ।[19]

ई. विधि आयोग द्वारा परामर्श

1.24 भारत के विधि आयोग ने नोट किया कि एनआरआई विधेयक, 2019 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वर्ष 2006 से 2022 तक महिला सशक्तिकरण समिति, अंतर-मंत्रालयी पैनल, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समितियों, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा गहन चर्चा की गई। वर्तमान रिपोर्ट तैयार करने में विधि आयोग को भेजी गई उनकी रिपोर्ट और सिफारिशों का अध्ययन किया गया।

1.25 इन सामग्रियों के साथ, विधि आयोग ने 5 जनवरी, 2024 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के डायस्पोरा अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव प्रभाग के निदेशक श्री अमित कुमार मिश्रा के साथ परामर्श किया।

[17]भारतीय विधि आयोग, 212रिपोर्ट (2008), भारत में सिविलविवाह की विधियां - कतिपय संघर्षों के समाधान हेतु एक प्रस्ताव
[18]भारतके विधि आयोग, 219वीं रिपोर्ट (2009), अनिवासी भारतीयों के लिए पारिवारिक विधि रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता, 15 पर।
[19]भारतके विधि आयोग, 270वीं रिपोर्ट (2017), विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

विदेश मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2024 के पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा उठाए गए कतिपय प्रश्नों पर अपना जवाब प्रस्तुत किया।[20] भारतीय विधि के अधीन एनआरआई की परिभाषा की व्याप्ति के विशिष्ट प्रश्न के संबंध में, विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में उत्तर दिया कि भारतीय विधि के अधीन एनआरआई की सार्वभौमिक परिभाषा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 के अधीन एनआरआई की परिभाषा में संशोधन करने का सुझाव दिया है, जिसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है औरवह भारत से बाहर निवास करता है/जो अस्थायी या स्थायी रूप से एक सौ बयासी दिन से अधिक अवधि तक भारत में नहीं रहा है (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) के अनुसार)। मंत्रालय ने यह सुझाव भी दिया कि एनआरआई विधेयक केवल एनआरआई पर ही नहीं बल्कि पीआईओ पर भी लागू होना चाहिए। अधिनियम में पीआईओ को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, "भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) से अभिप्रेत है एक विदेशी नागरिक (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को छोड़कर) जिसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था या जिसके माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी में से कोई एक भारत सरकार अधिनियम, 1935 में यथा परिभाषित भारत में पैदा हुआ था और स्थायी रूप से निवास करता था और अन्य क्षेत्र जो तत्पश्चात भारत का हिस्सा बन गए, बशर्ते कि कोई भी किसी भी समय उपर्युक्त देशों (ऊपर यथानिर्दिष्ट) का नागरिक न रहा हो।" दूसरे प्रश्न के संबंध में कि क्या एनआरआई विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाना युक्तियुक्त है, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एनआरआई विवाह के लिए रजिस्ट्रीकरण आज्ञापक बनाया जाना चाहिए। चूंकि "विवाह और विवाह विच्छेद " का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 5 के रूप में उल्लिखित है, इसलिए संसद और राज्य विधानसभाओं, दोनों के पास इस विषय पर विधान बनाने का समवर्ती अधिकारिता है। मंत्रालय ने यह और सुझाव दिया कि विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एक विशेष अभिहित पोर्टल होना चाहिए, जिसकी पहुँच विदेश मंत्रालय तक हो। सभी भारतीय पासपोर्टों में पति या पत्नी के नाम के लिए एक कॉलम होता है, विवाह रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिए उसमें एक पृथक कॉलम उल्लिखित किया जा सकता है

1.26 विदेश मंत्रालय से पूछा गया दूसरा प्रश्न यह था कि उत्पन्न होने वाली परस्पर विरोधी अधिकारिताओं की दशा में किस अधिकारिता का प्रभुत्व होगा। मंत्रालय ने उत्तर दिया, "भारत में

[20]भारतके विधि आयोग को पत्र आई.डी. नोट संख्या क्यू/डीई/9013/93/2018 दिनांक 24 जनवरी 2024

न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों को विदेशों में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता या विदेशी न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिरूपित नहीं किया जाता । इसी प्रकार, विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों को भारत में न्यायालयों द्वारा प्रतिरूपित नहीं किया जाए। तथापि, कतिपय मामलों में, न्यायालयों के विवेक पर और न्याय के हित में, भारतीय न्यायालय विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों को प्रतिरूपित कर सकते हैं, विशेषकर जहां एमएलएटी या किसी द्विपक्षीय करार पर उक्त देश के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। हम अधिनियम में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि भारतीय न्यायालयों के पास उन मामलों में अधिकारिता होगी जहां विवाह भारत के क्षेत्र में या भारतीय प्राधिकारियों के पास रजिस्ट्रीकृत है।" आयोग ने भारतीय न्यायालयों में एनआरआई की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विधिक ढांचे को मजबूत करने के लिए मंत्रालय से एक विशिष्ट प्रतिक्रिया मांगी। इस पर, विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि यदि मामले में अभियुक्त व्यक्ति/पक्ष न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, तो भारतीय न्यायालय, न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मामले में अभियुक्त व्यक्ति/पक्ष की संपत्ति को जब्त कर सकता है ।

1.27 विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में आगे कहा कि मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों के माध्यम से अपने सामुदायिक कार्यक्रमों और अपनी अधिकारिता में भारतीय समुदायों, संघों, गैर-सरकारी संगठनों ("एनजीओ") के सदस्यों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से संबंधित विदेशी राष्ट्रों में भारतीय प्रवासियों में जागरूकता पैदा करता है। इस विशिष्ट प्रश्न के संबंध में कि क्या एनआरआई विवाह के मुद्दे को पूरी तरह से नारीवादी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, मंत्रालय ने जवाब दिया कि यद्यपि अधिकांश शिकायतें महिलाओं द्वारा की जाती हैं, लेकिन इस प्रश्न पर केवल नारीवादी दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिए।

2. विधिक मुद्दे और नीतिगत विचारणाएं

2.1 निर्देशाधीन आठ मुद्दे, यद्यपि एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी उन्हें इस प्रकार सुविधा पूर्वक पहचाना जा सकता है: (i) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, (ii) व्यापक विधान, (iii) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन, (iv) पासपोर्ट प्रतिसंहरण, (v) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन, (vi) भारतीय पति या पत्नी का परित्याग, (vii) सम्मन और वारंट की तामील, तथा (viii) अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण और मुस्लिम स्वीय विधि।

ए. विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

2.2. निर्देशाधीन पहला प्रश्न यह है: क्या भारत सरकार अपनी विद्यमान विधि के माध्यम से एनआरआई विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध कर सकती है? यदि नहीं, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा किस प्रकार का विधान लाया जा सकता है? इस प्रश्न में,कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों के विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विद्यमान विधि के माध्यम से किया जा सकता है, निम्नलिखित मुद्दे अंतर्वलित हैं :

क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में से कौन सी सूची "अनिवासी भारतीय" और "विवाह" के संबंध में विधि बनाने की संघ सरकार की शक्ति से संबंधित है;

ख) यदि इस विषय पर कोई केंद्रीय विधान अधिनियमित किया जाता है, तो विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए उसका मूल और प्रक्रियात्मक ढांचा क्या होना चाहिए;

ग) क्या विद्यमान विधियों में विवाह का रजिस्ट्रीकरण शामिल किया जा सकता है?

(i) विधायी सक्षमता

2.3. प्रथम प्रश्न के **मुद्दा संख्या (क)** के बारे में, "अनिवासी भारतीय" प्रविष्टि का उल्लेख सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं है। यदि कोई विशेष प्रविष्टि तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है, तो संसद के पास ऐसे विषय पर विधि बनाने की विधायी सक्षमता है। संविधान निर्माताओं ने इस विविधतापूर्ण राष्ट्र को शासित करने के लिए एक व्यापक संविधान बनाते समय सभी सामाजिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया था। समाज की गतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जहाँ नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो संविधान की विरचना के समय विद्यमान नहीं थीं, संसद को आकस्मिकताओं की दशा में विधान बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए संघ सूची में एक नई प्रविष्टि के बारे में सोचा गया था। प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना ने संविधान सभा में कहा था कि:

"... *वास्तव में डॉ. अंबेडकर ने कहा है कि यदि कुछ बचा है तो उसे (संविधान के प्रारूप) की इस मद 91 में शामिल किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविष्टि है... संप्रेक्षित प्रविष्टि केंद्र को मजबूत करेगी और हमारे राष्ट्र को एक*

मजबूत केंद्र के पीछे एक एकल राष्ट्र में जोड़ेगी... यह प्रविष्टि केंद्र को किसी भी ऐसे विषय पर विधि बनाने की शक्ति देती है जो सदन की संवीक्षा से बच गया हो।"[21]

2.4 "अनिवासी भारतीय" से संबंधित मुद्दा एक ऐसी आकस्मिकता है जिस पर भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान की सूची I की प्रविष्टि 97 (अर्थात, प्रारूप संविधान की प्रविष्टि 91) के साथ पठित अनुच्छेद 248 संसद को ऐसे किसी भी विषय पर विधान बनाने के लिए प्राधिकृत करता है जो तीनों सूचियों में से किसी का भाग रूप नहीं है।[22]

2.5 इस प्रकार, दोनों उपबन्धों के संयुक्त अध्ययन पर, संसद ऐसे विषय पर विधान बना सकती है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी सूची का भाग रूप नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने *(भारत सरकार बनाम एच.एस. ढिल्लों)*[23] में संप्रेक्षित किया है कि:

> *"...इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित है और इसका परिणाम सूची I में प्रविष्टि 97 में अनुवादित है, यह कहने में कोई लाभ नहीं हो सकता कि यह विचार उन विषयों पर ऐसी अवशिष्ट शक्ति सौंपने का था, जिनके बारे में तीन सूचियाँ तैयार करने के समय सोचा या विचार नहीं किया जा सकता था।"*

2.6. वर्तमान में विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई केंद्रीय विधान नहीं है। इसी तरह, एनआरआई विवाहों को शासित करने वाली विशेष विधि विद्यमान नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है, विदेशों में भारतीयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इस प्रकार, वैवाहिक और अन्य सहायक मुद्दों को अभी भी पारंपरिक भारतीय विधान द्वारा हल किया जाना बाकी है, जो अपर्याप्त साबित हुआ है। इस पृष्ठभूमि के विपरीत, यह भी ध्यान देने योग्य है कि *सीमा बनाम अश्विनी कुमार*[24] में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को निदेश दिया था कि सभी व्यक्तियों के विवाह जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित भारत के नागरिक हैं, उनके संबंधित राज्यों में अनिवार्य रूप से वहां पर रजिस्ट्रीकरणीय किए जाने चाहिए, जहाँ ऐसे विवाह संपन्न होते हैं।

2.7. अनिवासी भारतीयों के संदर्भ में, भारतीय विधि आयोग ने अपनी 219वीं रिपोर्ट (2009) में अनिवासी भारतीयों के समक्ष प्रतिदिन आने वाली विद्यमान पारिवारिक विधि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिनका सामना भारत में रहने वाले प्रभावित लोग तब करते हैं, जब उनका उनसे टकराव होता है। ऐसे ही एक सुझाव में अनिवासी भारतीयों के विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को प्राथमिकता दी गई है।[25]

---

[21]संविधान सभा वाद-विवाद, पुस्तक 4, खंड IX, (30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949), पृष्ठ 856 पर (छठा पुनर्मुद्रण, लोकसभा सचिवालय, 2014, नई दिल्ली)

[22]भारतीय संविधान: अनुच्छेद 248 में निम्नलिखित उल्लेख है;

"अवशिष्ट विधायी शक्तियां .-

(1) अनुच्छेद246 के अधीन रहते हुए संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है।"

[23]एआईआर 1972 एससी 1061 : 1972 एससीआर (2) 33

[24]एआईआर 2006एससी 1158

[25]विधि आयोग, 219वींरिपोर्ट, *सुप्रा*नोट 18, 23 पर, पैरा 5.3ए

2.8. भारतीय विधि आयोग ने अपनी 211वीं रिपोर्ट (2008) में बताया था कि विभिन्न समुदाय अपनी-अपनी विधियों द्वारा शासित होते हैं, जबकि उसी समय व्यक्ति समुदाय-विशिष्ट पारिवारिक विधि व्यवस्था से बाहर निकलकर स्वेच्छा से सिविल विवाहों पर स्वयं को राष्ट्रीय विधियों के अधीन शासित होनेका विकल्प भी चुन सकते हैं । इनमें से अधिकांश विधियों में विवाहों के वैकल्पिक या अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध पाए जाते हैं। देश में विवाह रजिस्ट्रीकरण विधियों के लिए एक समान व्यवस्था की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए विवाह रजिस्ट्रीकरण पर केंद्रीय और राज्य विधियों के संपूर्ण विषय पर विचार करने की आवश्यकता है।[26]

2.9. संवैधानिक योजना के अधीन, "विवाह" विषय का उल्लेख सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 5 में मिलता है। इस प्रकार, राज्यों के साथ-साथ संघ के पास विवाह से संबंधित मामलों पर विधि बनाने की समवर्ती विधायी सक्षमता है। इससे दो और प्रश्न उठते हैं: पहला, राज्य की विधियों और केंद्रीय विधि के बीच संघर्ष की स्थिति में, कौन सी विधि अभिभावी होगी; और दूसरा, क्या राज्य की विधि और केन्द्र की विधि दोनों स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो सकती है । इस संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन विरोध का सिद्धांत नियत किया गया है कि जब समवर्ती सूची में प्रविष्टियां की जाती हैं, तो संघ और राज्य सरकार दोनों के पास समान शक्तियां होती हैं। तथापि, केंद्रीय और राज्य कीविधि के बीच विरोध की स्थिति में, संघ की विधि अभिभावी होगी । इस विरोध का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 द्वारा किया गया है।[27]

2.10. सर्वोच्च न्यायालय ने *एम करुणानिधि बनाम भारत सरकार*[28] के मामले में समवर्ती सूची के विषयों के सम्बन्ध में विरोध को समाप्त करने के लिए कुछ दिशानिर्देश अधिकथित किए:

> *"1. जब समवर्ती सूची में केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के उपबंध पूर्णतः असंगत और पूर्णतः असंयोज्य हों, तोकेन्द्रीय अधिनियम अभिभावी होगा और राज्य अधिनियम विरोधाभास की दृष्टि से शून्य हो जाएगा।*
>
> *2. तथापि, जहां राज्य द्वारा पारित विधि समवर्ती सूची में किसी प्रविष्टि पर संसद द्वारा पारित विधि के साथ टकराव में आती है, राज्य अधिनियम विरोध की सीमा तक अभिभावी होगा और केंद्रीय अधिनियम के उपबंध शून्य हो जाएंगे, बशर्ते कि राज्य अधिनियम अनुच्छेद 254 के खंड (2) के अनुसार पारित किया गया हो*
>
> *3. जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधि राज्य सूची के विषय क्षेत्र में होते हुए भी केन्द्रीय सूची की किसी प्रविष्टि पर अतिक्रमण करता है, वहां सार और तत्व के सिद्धान्त*

---

[26]विधि आयोग, 211वीं रिपोर्ट, *सुप्रा* नोट 16, पृष्ठ 10.

[27]*(1) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है तो खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित की गई हो, विद्यमान विधि, अभिभावी होगी और राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि, प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगी।*

(2) जहां किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों में से किसी के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो उस विषय के संबंध में संसद द्वारा पहले बनाई गई किसी विधि या विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है वहां ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि, यदि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है और उसे उसकी अनुमति मिल गई है, उस राज्य में अभिभावी होगी:

परंतु इस खंड की कोई बात संसद को किसी भी समय उसी विषय के संबंध में कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जिसके अंतर्गत राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करने वाला कानून भी है।

[28]एआईआर 1979 एससी 898 : एससीआर (3) 254.

का अवलंब लेकर विधि की संवैधानिकता को कायम रखा जा सकता है, यदि अधिनियम के उपबंधो के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर विधि राज्य सूची की परिधि में आती है और अतिक्रमण, यदि कोई है, तो विशुद्ध रूप से आनुषंगिक या अप्रासंगिक है।

4. तथापि, समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा बनाई गई किसी पिछली विधि से असंगत और प्रतिकूल है, तो ऐसी विधि को संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके संरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने का परिणाम यह होगा कि जहां तक राज्य अधिनियम का संबंध है, वह राज्य में लागू होगा और केवल राज्य में लागू होने के मामले में केंद्रीय अधिनियम के उपबंधो को नामंजूर कर देगा। ऐसी स्थिति केवल तब तक बनी रहेगी जब तक संसद किसी भी समय अनुच्छेद 254 के परंतुक के अधीन राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में कुछ जोड़ने या संशोधन करने, परिवर्तन करने या उसे निरसित करने वाली विधि नहीं बना देती।

2.11 इस प्रकार, यहां तक कि यदि राज्यों और संघ में विवाह रजिस्ट्रीकरण पर विद्यमान विधि अनिवासी भारतीयों के लिए विवाह का रजिस्ट्रीकरण को पुर:स्थापित करती है, तो दोनों स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं यदि वे एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करतेहैं। प्रत्यक्ष विरोधभास की दशा में, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों में दिए गए अपवादों के अधीन संघ की विधि अभिभावी होगी । इसलिए, अनिवासी भारतीयों के विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण पर एक केंद्रीय विधि न केवल संभव है, बल्कि वांछनीय भी है। इससे विवाह रजिस्ट्रीकरण से संबंधित मूल विधि में देश भर में एकरूपता आएगी और वांछित लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायक होगी । विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा इस विषय पर केंद्रीय विधि के अनुरूप बनाई जा सकती हैं।

2.12 अनिवासी भारतीयों के रजिस्ट्रीकरण पर नई विधि विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विद्यामन विधि के किसी भी उपबंध का अल्पीकरण नहीं करेगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 254 के उपबंधों की दृष्टि से, किसी राज्य द्वारा अधिनियमित कोई भी विधि जो नई विधि के लागू होने की तारीख पर लागू है, यदि वह अधिनियम बनने के लिए पारित की जाती है और इस अधिनियम के अनुरूप नहीं है, तो उस सीमा तक शून्य होगी ।

(ii) प्रस्तावित विधि की प्रयोज्यता की व्याप्ति

2.13 भारत में बहुत व्यापक, जीवंत और सहभागी प्रवासी समुदाय है, जो भारत में अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों के कई वर्गों की सक्रिय मांगों के कारण ही संसद ने 2004 में विदेशी नागरिकता शीर्ष के अधीन धारा 7 ए से 7 डी को अंत:स्थापित करने के लिए नागरिकता

अधिनियम, 1955 में संशोधन किया।[29] इसमें अधिकथित योजना उन सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के रूप में रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करती है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे, सिवाय उन लोगों के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य ऐसे देश के नागरिक हैं या रहे हैं, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।[30]

2.14 ओसीआई के अस्तित्व में आने से पहले, भारतीय प्रवासियों की एकमात्र समान रूप से मान्यता प्राप्त श्रेणी पीआईओ थी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 26011/14/98 एफ.आई., दिनांक 19 अगस्त, 2002 के अधीन परिभाषित किया गया था। जबकि ओसीआई की अवधारणा को कानूनी मान्यता प्राप्त है, पीआईओ को ऐसी कोई मान्यता नहीं थी।[31] ओसीआई के अस्तित्व में आने के बाद भी दोनों श्रेणियां एक साथ अस्तित्व में रहीं। तथापि, 2015 में, भारत सरकार ने दोनों श्रेणियों काविलय करने का विनिश्यच किया।

2.15 इस तथ्य के बावजूद कि पीआईओ और ओसीआई को विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है, वे विदेशी नागरिक बने रहेंगे और उन्हें किसी भी तरह से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के समान होने के रूप में भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, जहां एनआरआई विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, वहां ओसीआई और पीआईओ विदेशी नागरिक हैं जिनके भारतीय मूल को विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है, और जिसके आधार पर उन्हें कतिपय विशेषाधिकार दिए गए हैं।

2.16 यह भारतीय प्रवासी संख्या में बहुत अधिक हैं [32] और वे भारत में भारतीयों के साथ वैवाहिक और पारिवारिक संबंध बनाए रखे हुए हैं। जब विवाह में कोई भी पक्ष भारतीय नागरिक होता है और विवाह भारत में होता है, तो यह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित होता है; जबकि यदि यह विदेश में होता है, तो यह विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अनुसार शासित होता है।

2.17 यह ध्यान देने योग्य है कि विदेशों में होने वाली वैवाहिक शिकायतों में से एक महत्वपूर्ण संख्या में केवल एनआरआई ही शामिल नहीं हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, बल्कि ओसीआई या पीआईओ के

[29]2004 के अधिनियम सं. 6 की धारा 7 द्वारा (3-12-2004 से) अंतःस्थापित
[30]नागरिकता अधिनियम, 1955, धारा 7ए
[31]पूर्वोक्त
[32]पीआईओ की संख्या 1,86,83,645 है। *सुप्रा* नोट देखें

रूप में मान्यता प्राप्त विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। जब मामला एनआरआई से जुड़ा होता है, तो उनके विरूद्ध भारतीय नागरिक होने के कारण कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।तथापि, जब अभियुक्त ओसीआई या पीआईओ होता है, तो ऐसी कार्रवाई और भी कठिन हो जाती है और इसमें अधिक जटिलताएँ होती हैं। पीड़ित पति या पत्नी तब अधिक असहाय स्थिति में होते हैं। इसलिए, नयाविधान एनआरआई के अलावा इस श्रेणी के व्यक्तियों पर भी लागू होना चाहिए। इसलिए, नए विधान के उपबंधों को विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए तदनुसार प्रारुपित किया जाना चाहिए।

(iii) एक मजबूत प्रक्रिया की आवश्यकता

2.18 प्रथम प्रश्न के **मुद्दा संख्या (ख)** के बारे में, यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए, तथा ऐसे विवाह का रजिस्ट्रीकरण करवाने में विफल रहने पर भारी जुर्माने तथा जुर्माना न चुकाने पर विहित अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध होना चाहिए । यदि संबंधित विवाह नई विधि के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो विवादित मामले में कोई न्यायिक राहत नहीं दी जाएगी। इस विधि में सम्यक रूप से अंत:स्थपित सर्वोपरी खंड के माध्यम से इसे अन्य सभी विधियों पर अभिभावी प्रभाव दिया जाएगा।

2.19 वर्तमान में विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए विधियों के संबंध में बहुत विविधता है। विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रशासनिक तंत्र हर जगह एक ही विधि द्वारा विनियमित नहीं है। इससे अत्यधिक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। संसदीय विधान को विशिष्ट रूप से एनआरआई के विवाह रजिस्ट्रीकरण से संबंधित होना चाहिए और विभिन्न वैवाहिक विधियों के मूल पहलू में किसी भी बदलाव को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए एक सामान्य और उचित तंत्र एक नई विधि के अधीन प्रदान किया जाना चाहिए, साथ ही नई विधि को प्रभावी बनाने के लिए वैवाहिक विधियों में संशोधन भी किया जाना चाहिए।

2.20 विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण पर केंद्रीय विधानों और स्वीय विधियों में सुसंगत उपबंध हिंदू, ईसाई, सिख और पारसी समुदायों के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 में पाए जा सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 8 हिंदू विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करती है। इसके अलावा, विशेष विवाह अधिनियम, 1954

की धारा 15 के अधीन विवाहों का रजिस्ट्रीकरण, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त विवाह अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसी तरह, आनंद विवाह अधिनियम, 1909 में भी विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध हैं। एक ओर, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के भाग IV (धारा 27-37) में मंत्रियों और पादरियों द्वारा विवाह रजिस्ट्रीकरण के उपबंध हैं; दूसरी ओर, अधिनियम के भाग V (धारा 38-59) में अधिनियम के अधीन नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार द्वारा विवाहों के सीधे अनुष्ठान-सह-रजिस्ट्रीकरण के नियम दिए गए हैं। पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 की धारा 6 से 9 के अधीन, विवाह रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें अपने रिकॉर्ड जन्म, मृत्यु और विवाह के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने होते हैं। विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 की धारा 3 के अधीन, विदेश में अपने राजनयिक मिशनों में इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विवाह अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं। अधिनियम की धारा 4 विदेशी विवाहों के अनुष्ठान से संबंधित उपबंध करती है और अधिनियम की धारा 17 अन्य विधियों के अधीन किए गए विदेशी विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करती है। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनआरआई के विवाहों का रजिस्ट्रीकरण उपरोक्त किसी भी विधि में समाविष्ट नहीं है।

2.21 भारत या विदेश में भारतीय पति या पत्नीके साथ एनआरआई के विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से, यात्रा दस्तावेजों या पासपोर्ट के साथ-साथ वीज़ा या स्थायी निवासी कार्ड और एनआरआई के विदेश में स्थायी निवासी पते के ब्यौरे सम्मिलित किये जायेंगे, जोउन विभिन्न पारिवारिक विधियों के अधीन,जो विवाह बंधन के अभित्यक्त पति या पत्नी के विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार मंज़ूर और प्रदान करते हैं, बेहतर प्रवर्तन के लिए एनआरआई विवाहों का एक डेटाबेस बनाने में मदद करेगा ।[33] एनआरआई के साथ विवाह में, इस तरह के रजिस्ट्रीकरण से न केवल महिला को अभित्यक्त होने पर अपना केस लड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि दूतावास को गलती करने वाले एनआरआई पति या पत्नी पर नज़र रखते हुए विवाह के बारे में पूरी जानकारी रखने में भी सक्षम बनाया जा सकेगा। सरकार को विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाना चाहिए, ताकि प्रक्रिया सरल, सस्ती और सुलभ हो सके।[34]

2.22 चूंकि एनआरआई के विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का एक प्रयोजन, दोषी एनआरआई पति/पत्नी का पता लगाना और उन्हें भारत में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, इसलिए भारत

[33]विदेश मामलों की समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12, पृष्ठ 18, पैरा 1.42
[34]महिला सशक्तिकरण समिति, *सुप्रा* नोट 8, पृष्ठ 20

में संपन्न विवाहों को रजिस्ट्रीकरण के लिए एक समान प्रोफार्मा के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संख्या, पासपोर्ट विवरण, आईडी कार्ड/श्रम कार्ड आदि की जानकारी शामिल हो, ताकि उचित पहचान और ट्रैकिंग प्रणाली बनाई जा सके। एनआरआई विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक प्रोफार्मा और एक केंद्रीय एनआरआई विवाह रजिस्ट्री का, जिसमें सभी विवरणों को शामिल करते हुए संपूर्ण एक समान प्रोफार्मा को ऑनलाइन अपलोड और अद्यतीकरण करने की सुविधा हो ,उपबंध किये जाने की आवश्यकता है।

2.23 विदेश मामलों की स्थायी समिति (2019-2020) ने एनआरआई विधेयक, 2019 पर अपनी तीसरी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रोफार्मा और अनिवासी भारतीयों के विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए एक अलग वेबसाइट पोर्टल विकसित किया है, जिसे भारत में सभी विवाह रजिस्ट्रारों से जोड़ा जाएगा। विवाह रजिस्ट्रीकरण के विद्यमान रूप विधान में अनिवासी भारतीय दूल्हे और दुल्हन का पूरा विवरण, जानकारी, विशेष रूप से आवासीय पते के अद्यतीकरण का उपबंध होना चाहिए। उक्त प्रयोजन के लिए रूप विधान को नई विधि की अनुसूची के रूप में रखा जाना चाहिए। इसी तरह, यह भी सोचा जा सकता है कि नई विधि के अधिनियमन के बाद विवाह करने वाले सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा अनुपालन की निगरानी को शुकर बनाने के लिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट का भी तदनुसार अद्यतन किया जाए।[35]

2.24 एनआरआई विधेयक, 2019 में प्रस्ताव है कि भारत या विदेश में विवाह के 30 दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रीकृत किया जाए। यह हर उस एनआरआई पर लागू होगा जो भारत के नागरिक या किसी अन्य एनआरआई से विवाह करता है। यदि विवाह भारत के बाहर होता है, तो इसे विवाह अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, जिसे विदेश में राजनयिक अधिकारियों में से नियुक्त किया जाएगा। एनआरआई विधेयक, 2019 अनिवासी भारतीयों को, 30 दिनों की अवधि के भीतर विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने में असमर्थ होने की दशा में समय सीमा को नहीं बढाता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनिवासी भारतीय 30 दिनों की सीमा के भीतर वैध कारणों से विवाह को रजिस्ट्रीकृत कराने में असमर्थ हैं और इसमें ऐसे व्यक्तियों के लिए निवारण की परिकल्पना भी नहीं की गई है।[36] विवाह के बाद इसके रजिस्ट्रीकरण के लिए 30 दिनों की सीमा का विचार पर्याप्त नहीं है। इसलिए, समय सीमा युक्तियुक्त होनी चाहिए।

[35]विधिक कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, उप सं. 358242/जेएस एवं एल.ए. (ए.आर.आर.)2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020, पैरा 6; लोक सभा सचिवालय, प्रेस विज्ञप्ति (13 मार्च, 2020), सिफारिश सं. 6, अनुलग्नक 4-5, पैरा 6।

[36]कर्नाटक विवाह (रजिस्ट्रीकरण और विविध उपबंध) अधिनियम, 1976, धारा 6; गुजरात विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006, धारा 6।

(iv) विवाह प्रमाणपत्र का सार

2.25 भारत में विवाह प्रमाणपत्र इस बात का साक्ष्य है कि एक दूसरे से विवाहित दो व्यक्ति विवाह से संबंधित विभिन्न अधिकारों के हकदार हैं। रजिस्ट्रीकरण के अभाव में विवाह की वैधता साबित करना कठिन है। सभी भारतीय राज्यों ने भारत में होने वाले विवाहों को रजिस्ट्रीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन भारत के बाहर सम्पन्न एनआरआई विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई केंद्रीय विधि नहीं है।

2.26 रजिस्ट्रार द्वारा जारी एनआरआई के विवाह प्रमाण पत्र में के अन्तर्गत अनिवासी भारतीय पति-पत्नी के विदेशी घर के सुरक्षा नंबर के साथ-साथ पासपोर्ट नंबर और संक्षिप्त सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होने चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र के वस्तुत: जारी किया जाने से पहले एनआरआई पति या पत्नी के वैध पासपोर्ट की फोटोकॉपी रजिस्ट्रार के पास रखे गए विवाह रजिस्टर में चिपकाई जानी चाहिए। पति या पत्नी के पासपोर्ट पर विवाह का आज्ञापक प्रमाण पत्र चिपकाने से परित्याग किये जाने पर निश्चित रूप से उनके विवाह के किए जाने का एक दस्तावेजी साक्ष्य और सबूत मिलेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एनआरआई का कोई भी विवाह दुल्हन और दूल्हे दोनों की उपस्थिति के बिना रजिस्ट्रीकृतन हो।[37]

(v) एनआरआई विधेयक, 2019 के अधीन संभावना

2.27 प्रथम प्रश्न के मुद्दा संख्या (ग) के बारे में अंतर-मंत्रालयी पैनल ने जुलाई, 2018 में अपनी बैठक में यह विनिश्चय किया था कि अनिवासी भारतीयों के लिए रजिस्ट्रार के पास अपने विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य बनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करके आवश्यक उपबंध सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था।[38] विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-2013) ने यह नोट करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के मद्देनजर तथा महिला सशक्तिकरण समिति और भारत के विधि आयोग की सिफारिश पर "जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012" राज्य सभा में पुर:स्थापित

[37] विदेश मामलों की समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12, 15-16 पर, पैरा 1.32 विदेश मामलों की स्थायी समिति (2011-2012), *सुप्रा* नोट 9, 73-74 पर, पैरा 5.13

[38] *सुप्रा* नोट 11

किया गया था।[39] लेकिन उक्त विधेयक पारित नहीं हो सका। यहां तक कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 में भी विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई उपबंध सम्मिलित नहीं किया गया।

2.28 दो अन्य केंद्रीय विधान हैं, अर्थात् विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969, जिनमें विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंध शामिल हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का अध्याय II "विशेष विवाहों का अनुष्ठान" (धारा 4 से 14) और अध्याय III "अन्य रूपों में मनाए जाने वाले विवाहों का रजिस्ट्रीकरण" (धारा 15 से 18) अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हैं। विधि आयोग की 212वीं रिपोर्ट (2008) में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के बीच होने वाले विवाहों को छोड़कर सभी विवाहों को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने की सिफारिश की थी। तथापि, विशेष विवाह अधिनियम,1954 केविषय क्षेत्र का विस्तार करके अनिवासी भारतीयों के विवाह को सम्मिलित करने से अधिनियम में निषिद्ध संबंधों की डिग्री से संबंधित उपबन्धों के कारणकठिन हो सकता है।

2.29 अन्य केंद्रीय विधान, अर्थात विदेशी विवाह अधिनियम, 1969, जो विशेष विवाह अधिनियम, 1954 पर आधारित है, में विवाहों के अनुष्ठान और पहले से ही संपन्न विवाहों के रजिस्ट्रीकरण पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधिकांश उपबंध हैं; तथापि ,दोनो विधान अनिवासी भारतीयों के विवाह के मामले में लागू नहीं हैं। एक ओर,यदि विशेष विवाह अधिनियम, 1954, "कतिपय मामलों में, ऐसे और कतिपय अन्य विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विवाह का एक विशेष रूप प्रदान करता है ...", तो दूसरी ओर, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 में" भारत के नागरिकों के भारत से बाहर विवाह से संबंधित उपबंध" हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में एक अनिवासी भारतीय का भारतीय पति या पत्नी के साथ विवाह, इन केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत नहीं आता है, इसके बावजूद कि इसके अधीन अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध विद्यमान है।

2.30 *श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार*[40] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में भारत के अधिकांश राज्यों ने विवाह रजिस्ट्रीकरण को आज्ञापक बना दिया है। जहां तक विद्यमान स्वीय

---

[39]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-2013), *सुप्रा*नोट 10, सिफारिश, संख्या 26, 22, पैरा 64.
ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का शीर्षक कुछ हद तक भ्रामक था क्योंकि इसके प्रावधानों के तहत विवाह के स्वैच्छिक या अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, विवाह रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं था;
विधि आयोग, 211वीं रिपोर्ट, *सुप्रा* नोट 16, 25 पर।
[40]*सुप्रा* नोट 24

विधियों का संबंध है, भारत में सभी धार्मिक समुदायों में विवाह रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि प्रस्तावित एनआरआई विधेयक, 2019 में विवाह रजिस्ट्रीकरण के अनिवार्य उपबंध को विस्तारित किया जाए और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के संबंधित उपबंधों के आधार पर विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया जाए।

बी. व्यापक विधान

2.31 निर्देशाधीन दूसरा प्रश्न इस प्रकार है: "17वीं लोकसभा की स्थायी समिति [विदेश मामलों की समिति (2019-2020)] ने "अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019" पर अपनी तीसरी रिपोर्ट दिनांक 12.03.2020 (सिफारिश संख्या 2) में यह राय व्यक्त की है कि अनिवासी भारतीय के विवाह से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित किया जाए, जिसके अंतर्गत ऐसे विवाहों में विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता के मुद्दे सम्मिलित हों। क्या ऐसे मुद्दों पर विधि एवं न्याय मंत्रालय/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नेअपने पहले से विद्यमान विधान में विचार किया है? यदि नहीं, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस तरह का विधान ला सकता है?"

2.32 अनिवासी भारतीयों के विवाह पर व्यापक विधान की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

(क) क्या एनआरआई विधेयक, 2019 को विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता की समस्या को समाविष्ट करने के लिए विस्तारित किया जाए;

(ख) क्या एनआरआई विधेयक, 2019 में उपर्युक्त विषयों पर विस्तृत उपबंधों को सम्मिलित करने की बजाय केवल विभिन्न स्वीय विधियोंके उपबंधों का उल्लेख किया जाना चाहिए;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों के विवाह पर एक व्यापक विधान का स्वीय विधियों पर अभिभावी प्रभाव हो सकता है?

(i) विषय-वस्तु का विस्तार

2.33 दूसरे प्रश्न के मुद्दा संख्या (क) के बारे, यह ध्यान देने योग्य है कि एनआरआई विधेयक, 2019, विशेषज्ञ समिति, विदेश मामलों की स्थायी समिति की पंद्रहवीं रिपोर्ट (2011-2012), राज्य सभा

की 155वीं रिपोर्ट और राज्यों में विवाह के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था, क्योंकि विधेयक में अनिवासी भारतीयों के विवाह के रजिस्ट्रीकरण, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन की परिकल्पना की गई थी, जिसका सीमित प्रयोजन अभियुक्त अनिवासी पति या पत्नी पर भारत में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए दबाव बनाना था। इस प्रकार, एनआरआई विधेयक, 2019 का उद्देश्य इस भय के प्रसार को प्रत्यावर्तित करने के लिए नियामक तंत्र के अलावा विधिक और प्रक्रियात्मक कमियों, द्विपक्षीय बाधाओं को दूर करना था।[41]

2.34 विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-2013) का विचार था कि अनिवासी भारतीयों के विवाह न केवल भारतीय विधिक प्रणाली द्वारा, बल्कि निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा भी शासित होते हैं। यह प्रस्तावित किया गया था कि अभियुक्त अनिवासी भारतीय का पता मिलने के बाद, विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, बाल अभिरक्षा पर कांसुलर मैनुअल (1983) के अध्याय 4 में विधिकउपबंध और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 में उपबंधों के अनुसार विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल अभिरक्षा के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। यदि उन मुद्दों पर कांसुलर मैनुअल (1983) और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 को लागू करना संभव नहीं था, तो समिति ने एनआरआई के लिए एक विशेष वैवाहिक विधि की दृढ़ता से सिफारिश की थी ताकि विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, बाल अभिरक्षा सहित ऐसे कपटपूर्ण विवाहों से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान किया जा सके। यह सुझाव विदेश मामलों की स्थायी समिति द्वारा संकट ग्रस्त और परित्यक्त महिलाओं को उनकी संपत्ति, विवाह में समानता, पारिवारिक स्वतंत्रता की सुरक्षा या अपमानजनक व्यवहार और सबसे बढ़कर उनकी गरिमा से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपचारात्मक व्यवस्था के रूप में दिया गया था।[42]

2.35 एनआरआई विधेयक, 2019 मुख्य रूप से एनआरआई के विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के मुद्दे पर केंद्रित है, लेकिन यह विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बालक के भरण-पोषण से संबंधित मामलों पर विचार नहीं करता है । एनआरआई के विवाह के रजिस्ट्रीकरण के अभाव में ये मुद्दे जटिल हो जाते हैं। सामान्यतः यह साबित करना बहुत कठिन होता है कि किसी एनआरआई ने भारत में भारतीय पति या पत्नी से विवाह किया है और यह तथ्य विवाह को कपट पूर्ण विवाह में बदल देता है, जिससे एनआरआई को भारतीय पति या पत्नी से विवाह विच्छेद करने, भरण-पोषण

[41]डायरीसं. 358242/JS&LA/2020, *सुप्रा* नोट 35, पैरा 2; प्रेस विज्ञप्ति, 2पर, पैरा 3
[42]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-2013), *सुप्रा* नोट 10, सिफारिश संख्या 25, 21 पर, पैरा 61।
डायरी संख्या 358242/जेएस एवं एलए/2020, पैरा 2.

से इनकार करने और बालक की अभिरक्षा लेने में मदद मिलती है। ऐसे मामलों में, एनआरआई किसी न किसी बहाने से रजिस्ट्रीकरण से बचते हैं, ताकि वे विवाह के गैर-रजिस्ट्रीकरण का अनुचित लाभ उठा सकें। विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता के मुद्दों को समाविष्ट करते हुए अनिवासी भारतीयों से संबंधित समस्याओं पर एक व्यापक विधि बनाने का प्रयास इस प्रयोजन को पूरा कर सकता है। इन मुद्दों से तभी काफी हद तक निपटा जा सकता है जब रजिस्ट्रीकरण की एक मजबूत प्रक्रिया के साथ-साथ एनआरआई को भारत में न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली हो। एनआरआई के विवाह रजिस्ट्रीकरण पर व्यापक विधान के प्रयोजन के लिए, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता पर उपबंधों को शामिल करके एनआरआई विधेयक, 2019 की विषय-वस्तु का विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है।

2.36 दूसरे प्रश्न के मुद्दा संख्या (ख) के बारे में, यह कहा जा सकता है कि अनिवासी भारतीयों के विवाह के रजिस्ट्रीकरण पर व्यापक विधि में स्वीय विधियों के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि इस विषय पर एक केंद्रीय विधानका धर्मनिरपेक्ष विधि होना संभाव्य है, इसलिए विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता पर स्वीय विधि पर आधारित उपबंधों के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापक विधान का प्रयोजन, एनआरआई विधेयक, 2019 द्वारा,उसमें विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की एक मजबूत प्रक्रिया और विद्यमान स्वीय विधियों के किसी भी संदर्भ के बिना विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता पर धर्मनिरपेक्ष उपबंधों को शामिल करने के साथ पूरा किया जा सकता है।

(ii) अभिभावी प्रभाव

2.37 दूसरे प्रश्न के मुद्दा संख्या (ग) के बारे में, अनिवासी भारतीयों के विवाह पर एक व्यापक केंद्रीय विधानका विद्यमान स्वीय विधियों पर अभिभावी प्रभाव होगा । इस संबंध में, विधिक कहावत "जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट"(साधारण कथन विशेष कथन का अल्पीकरण नहीं करते)को सुसंगत माना जाना है। तदनुसार, यदि दो यदि दो विधियां एक ही तथ्यात्मक स्थिति को शासित करती हैं, तो एक विशिष्ट विषय वस्तु (एक्स स्पेशलिस) को शासित करने वाली विधि केवल सामान्य मामलों (लेक्स जनरलिस) को शासित करने वाली विधि पर अभिभावी होती है। इसलिए, एनआरआई विधेयक, 2019 के रूप में व्यापक विधानस्वीय विधियों में विद्यमान विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण और बाल सहायता के उपबंधों का अल्पीकरण नहीं करेगा।

सी. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन

2.38 निर्देशाधीन तीसरा प्रश्न इस प्रकार है: " अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019" में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन चाहा गया है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के कौन से विद्यमान उपबंध हैं जिनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है? क्या पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में ऐसे तत्स्थानी संशोधन करने के लिए नए खंड/धाराएं जोड़ी जाएंगी?"

2.39 पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन से संबंधित प्रश्न में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

क) क्या अनिवासी भारतीयों के विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण काप्रवर्तन करने के प्रयोजन के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 को एनआरआई विधेयक, 2019 के अधीन किसी उपबंध द्वारा संशोधित किया जा सकता है; और

ख) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के किन उपबंधों में ऐसे प्रयोजन के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

2.40 तीसरे प्रश्न के **मुद्दा संख्या (क)** के बारे मेंयह ध्यान देने योग्य है कि किसी विधान में संशोधन या तो संशोधन अधिनियम द्वारा या किसी अन्य सामान्य अधिनियम के अधीन उपबंधों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 को एनआरआई विधेयक, 2019 द्वारा संशोधित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में भी अपेक्षित संशोधन पुर:स्थापित किए जा सकते हैं।

2.41 तीसरे प्रश्न के **मुद्दा संख्या(ख)** के बारे में, यह ध्यान देने योग्य है कि एनआरआई विधेयक, 2019 का मुख्य उद्देश्य अनिवासी भारतीय पति या पत्नी का पता लगाना और उसे न्याय का सामना करने के लिए देश में वापस लाना है। यदि पासपोर्ट प्राधिकारी के संज्ञान में यह बात लायी जाती है कि अनिवासी भारतीय ने नियत समय के भीतर अपनी शादी का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया है, तो इससे पासपोर्ट प्राधिकारी को गलती करने वाले पति या पत्नी को देश छोड़ने से रोकने या यदि वह पहले ही विदेश यात्रा कर चुका है तो उसे संप्रत्यावर्तित करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए पासपोर्ट निलंबित करने में मदद मिलेगी। अभित्यक्तपति या पत्नी को अंतिम राहत और न्याय प्रदान करने के लिए, यह भी महत्वपूर्ण है कि एनआरआई पति या पत्नी को विधिक परिणामों का सामना करना चाहिए।[43]एनआरआई विधेयक, 2019 को, अनिवासी भारतीयों द्वारा वैवाहिक

[43]विदेश मामलों पर स्थायी समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12, सिफारिश संख्या 2, 22-23 पर, पैरा 1.50.

प्रास्थिति को अपडेट/अपलोड करने में विफलता के परिणामस्वरूप पासपोर्ट को वापस लेने या परिबद्ध करने से संबंधित उपबंधों को शामिल करने के लिए, व्यापक बनाया जा सकता है। इस प्रकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन का सुझाव देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

डी. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन

2.42 निर्देशाधीन चौथा प्रश्न इस प्रकार है: "अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन चाहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कौन से विद्यमान उपबंध हैं जिनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है? क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में ऐसे तत्स्थानी संशोधन करने के लिए नए खंड/धाराएं जोड़ी जाएंगी?"

(i) दंड प्रक्रिया की पुरानी योजना

2.43 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत शामिल दंड प्रक्रिया की जांच, महिला सशक्तिकरण समिति, अंतर-मंत्रालयी पैनल, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समितियों, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 से 2022 तक की गई। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किस हद तक संशोधन किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के क्षेत्र से बाहर रहने वाले एनआरआई पति/पत्नी को भारत के न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बाध्य किया जा सके।

2.44 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि, दो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रासंगिक है:

क) विदेश में रह रहे अभियुक्त अनिवासी भारतीयों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में शामिल किए जाने के लिए विभिन्न निकायों द्वारा क्या ठोस विचार सुझाए गए थे; और,

(ख) क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध एनआरआई के संबंध में प्रक्रियात्मक मामलों का समाधान करने के लिए पर्याप्त हैं।

2.45 चौथे प्रश्न के मुद्दा संख्या(क) के बारे में यह कहा जा सकता है कि विदेशों में अनिवासी भारतीयों को न्यायिक समन या वारंट की तामील करना भारतीय मिशनों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अधिकांश मामलों में या तो दिया गया विदेशी पता गलत होता है और पता पाने वाले का ठिकाना ज्ञात नहीं होता है या अभियुक्त अनिवासी भारतीय जानबूझकर अपना निवास स्थान बदलकर

किसी अन्य स्थान पर चला जाता है। इसके अलावा, न्यायालय द्वारा समन या कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अनिवासी भारतीय पति या पत्नी भारत में न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं और जवाब देने से इनकार कर देते हैं। मौजूदा प्रथा यह रही है कि एक बार जब कोई महिला शिकायत दर्ज कराती है, तो पुलिस विदेश में भारतीय मिशनों को पत्र लिखती है, जो समन भेजते हैं।

2.46 अंतर-मंत्रालयी पैनल ने विदेश मंत्रालय को उन एनआरआई को, जिन्होंने पहले समन का जवाब नहीं दिया है , जारी किए गए समन को अपनी वेबसाइट पर डालने की अनुमति देने का फैसला किया। इस संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि आपराधिक प्रक्रियात्मक विधि द्वारा विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट के माध्यम से समन या वारंट जारी करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाना चाहिए, जिसे निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा और व्यक्ति पर तामील किया गया माना जाएगा, इस प्रकार अनिवासी भारतीय पति या पत्नी को न्यायालयों की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए विवश किया जाएगा।

2.47 समिति ने पाया कि यदि अभियुक्त व्यक्ति समन की तामील के बाद न्यायालय में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपराधी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है और उसके बाद पासपोर्ट परिबद्ध करने की प्रक्रिया भी आरंभकी जा सकेगी। यदि व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तो अभिहित वेबसाइट पर एक घोषणा अपलोड की जाएगी कि वारंट जारी हो गया है और तामील हो गया है।[44]

2.48 एक और सुझाव यह दिया गया कि यदि कोई एनआरआई न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और न्यायालय द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए। इससे परिवार के सदस्यों और व्यक्तिगत अनिवासी भारतीय पर भारत वापस आने का दबाव पड़ेगा, ताकि वह अपने प्रत्यक्ष और गुप्त कृत्यों के विधिक परिणामों का सामना कर सके।[45] तथापि, समिति ने यह भी माना कि उद्घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति कुर्क करने का उपबंध न केवल एक कठोर कदम है, बल्कि उस न्यायालय की अधिकारिता में आता है, जो संबंधित मामले को देखता है। इसलिए, केवल समन और न्यायालय आदेशों की तामील को सुकर बनाने तक

[44]डायरी संख्या 358242/जेएस एवं एलए/2020, *सुप्रा*नोट 35, पैरा 8
[45]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12, । 8-19, पैरा । .43

ही सीमित रहना महत्वपूर्ण है। इसके बाद दंडात्मक उपायों को मामला-दर-मामला आधार पर अवधारित करने के लिए संबंधित न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए।[46]

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की नई व्यवस्था

2.49 चौथे प्रश्न के मुद्दा संख्या(ख) के बारे में, यह देखा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 62 में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा समन की तामील का उपबंध नहीं है। दूसरी ओर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय VI में यह विहित किया गया है कि न्यायालय किस प्रकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। धारा 63 और 64 में समन की तामील के लिए प्रक्रियाओं का उपबंध किया गया है । ये उपबंध समन की तामील के इलेक्ट्रॉनिक रीति को छोड़ कर मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों पर आधारित हैं । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 63 (ii) के अनुसार, न्यायालय को"*एन्क्रिप्टेड या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य रूप में समन जारी करने की अनुमति है और उस पर न्यायालय की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि होनी चाहिए।*"[47]

2.50 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उद्घोषित अपराधी की संपत्ति की कुर्की के संबंध में धारा 86 के अंतर्गत एक नया उपबंध शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इस संबंध में कोई उपबंध नहीं था। नई संहिता की धारा 86 के अनुसार, न्यायालय उसपुलिस अधिकारी के लिखित अनुरोध पर,जो पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, अध्याय VIII में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए संविदा करने वाले राज्य में न्यायालय या प्राधिकरण से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है।

2.51 यद्यपि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ,पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई है, तो भी भारत के बाहर विदेश में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के विशेष मामले में समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेजों की तामील से संबंधित आपराधिक प्रक्रियाओं का

---

[46]डायरी संख्या 358242/जेएस एवं एलए(एआरआर)2020, *सुप्रा* नोट 35, पैरा 8.

[47]भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: धारा 2(l)(i) –
"इलेक्ट्रॉनिक संचार से तात्पर्य किसी लिखित, मौखिक, चित्रमय सूचना या वीडियो सामग्री के संचार से है, जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से प्रेषित या स्थानांतरित किया जाता है (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण सेदूसरे उपकरण को या किसी व्यक्ति से उपकरण को या किसी उपकरण से किसी व्यक्ति को) जिसमें टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण, या कंप्यूटर, ऑडियो-वीडियो प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

समाधान नहीं किया गया है। इसलिए, इसमें एनआरआई विधेयक, 2019 में अतिरिक्त उपबंध की आवश्यकता शामिल है, जो भारत में भारतीय पति या पत्नी के साथ सम्पन्न विवाह से संबंधित वैवाहिक मामलों में चूक करने वाले अनिवासी भारतीय की भारत में के न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में है।

ई. पासपोर्ट का प्रतिसंहृरण

2.52 निर्देशाधीन पांचवां प्रश्न इस प्रकार है: "अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 में, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 संशोधन चाहा गया है, जो पासपोर्ट प्राधिकारी को प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अनिवासी भारतीय के पासपोर्ट को परिबद्ध/प्रतिसंहृत करने के लिए सशक्त करता है। यह संशोधन कैसे लाया जा सकता है और यदि और जब विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किया जाता है, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र होगा?

2.53 पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में पहले से ही विभिन्न परिस्थितियों में पासपोर्ट परिबद्ध या प्रतिसंहृत करने का उपबंध है, जब पासपोर्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई सदोष कार्य किया गया है या जब प्राधिकारी के ध्यान में यह लाया जाता है कि पासपोर्ट धारक की उपस्थिति के लिए किसी विधि के अधीन किसी न्यायालय द्वारा समन या गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है या न्यायालय द्वारा भारत से प्रस्थान पर रोक लगाने वाला कोई आदेश जारी किया गया है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 की उपधारा (3) में निम्नलिखित शर्तो का उल्लेख है, जिसके तहत पासपोर्ट प्रतिसंहृत किया जा सकता है या पासपोर्ट निरस्त किया जा सकता है:

"(क) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक के पास वह गलत तरीके से है;

(ख) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज, महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाकर या पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया हो:

[परन्तु यदि ऐसे पासपोर्ट का धारक कोई अन्य पासपोर्ट प्राप्त करता है तो पासपोर्ट प्राधिकारी ऐसे अन्य पासपोर्ट को भी जब्त कर लेगा या जब्त करवाएगा या प्रतिसंहृत कर लेगा।]

(ग) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों, या आम जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे;

(घ) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी होने के पश्चात् किसी भी समय भारत में किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तथा उसके लिए कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा दी गई हो;

(ई) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है;

(च) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है;

(छ) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का धारक उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपने की अपेक्षा करने वाली सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है;

(ज) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाता है कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के धारक की उपस्थिति के लिए वारंट या समन, या गिरफ्तारी के लिए वारंट, किसी कानून के तहत न्यायालय द्वारा जारी किया गया है या यदि पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के धारक के भारत से प्रस्थान को प्रतिबंधित करने वाला आदेश किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया है और पासपोर्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार वारंट या समन जारी किया गया है या कोई आदेश किया गया है।''

2.54 इस प्रकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 मेंविशेष रूप से वैवाहिक अपराध के लिए पासपोर्ट को परिबद्ध या प्रतिसंहृत करने का उपबन्ध नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि अनिवासी भारतीयों पर व्यापक विधान में एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिए जो पासपोर्ट प्राधिकारी को विवाह के 30 दिनों के भीतर विवाह का रजिस्ट्रीकरण न कराने पर दोषी एनआरआई का पासपोर्ट परिबद्ध या प्रतिसंहृत करने की अनुमति दे। व्यापक विधान में इस तरह के उपबन्ध के साथ, पासपोर्ट प्राधिकारियों को स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत के आधार पर, यह अवधारित किए बिना कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा कि विवाह हुआ है या नहीं, क्योंकि इसका विनिश्चय केवल संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। यदि विवाह रजिस्ट्रीकृत है, तो पासपोर्ट प्राधिकारी न्यायालय के अनुदेश के बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करे ।[48]

[48]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12, 18 पर, पैरा 1.41 और 1.42 पर; महिला सशक्तिकरण पर समिति (2006-2007), *सुप्रा* नोट 8, 20 पर,

2.55 यदि पासपोर्ट प्राधिकारी के ध्यान में यह लाया जाता है कि किसी अनिवासी भारतीय ने भारत के नागरिक या अनिवासी भारतीय के साथ विवाह के 30 दिनों के भीतर अपने विवाह को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है, तो उसका पासपोर्ट सीधे परिबद्ध या प्रतिसंहृत कर लिया जाएगा। किसी अनिवासी भारतीय द्वारा भारतीय पति या पत्नी के साथ विवाह को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत न कराने पर पासपोर्ट परिबद्ध या प्रतिसंहृत करने से संबंधित उपबन्ध प्रकृति में निवारक प्रतीत होता है, तथापि यह चूक करने वाले अनिवासी भारतीय के लिए काफी सख्त है। यद्यपि इस तरह के उपबन्ध का भयोपराधी प्रभाव होता है, लेकिन इसमें पासपोर्ट को सीधे परिबद्ध करने से पहले कोई प्रारंभिक उपाय नहीं होता है। इतनी कम अवधि के भीतर विवाह को रजिस्ट्रीकृत न कराने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों की ऐसी संभावना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अनिवासी भारतीय पति या पत्नी का पासपोर्ट सीधे परिबद्ध करने से पहले कतिपय अर्हित शर्तों की आवश्यकता होती है। इसलिए पासपोर्ट जब्त करने से पहले कतिपय उपबन्ध किए जाने चाहिए, जिसमें लुक-आउट नोटिस/कारण बताओ नोटिस/कठोर जुर्माना आदि का उपबन्ध हो।

2.56 इसलिए, विदेश मामलों की स्थायी समिति (2019-2020) ने सिफारिश की है कि नियत अवधि के भीतर विवाह का रजिस्ट्रीकरण न कराने पर किसी अनिवासी भारतीय का पासपोर्ट परिबद्ध करने से पहले कारण बताओ नोटिस, अनुकरणीय जुर्माने लगाने, लुक-आउट नोटिस जारी करने आदि का उपबन्ध किया जाना चाहिए।[49] प्रस्तावित एनआरआई विधेयक, 2019 के अधीन किसी गलती करने वाले अनिवासी भारतीय के विरुद्ध(लुक-आउट नोटिस के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि गृह मंत्रालय ने एकीकृत नोडल एजेंसी के संयोजक को किसी व्यक्ति के विरूद्ध विहित रूप विधान में उप निदेशक, आप्रवास ब्यूरो को लुक-आउट नोटिस खोलने का अनुरोध करने के लिए सशक्त किया है।[50] तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि आपराधिक विधि के अधीन संज्ञेय अपराधों में लुक-आउट नोटिस का आश्रय लिया जाता है। ऐसे मामले में जहां आपराधिक विधि के अधीन कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, मूल एजेंसी केवल यह अनुरोध कर सकती है कि उन्हें व्यक्ति के आगमन या प्रस्थान के बारे में सूचित किया जाए।

2.57 इसके अतिरिक्त, दूसरे पक्ष को भी सुनो (ऑडी अल्टरम पार्टम) की अवधारणा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 से असम्बद्ध नहीं है। *मेनका गांधी बनाम भारत संघ*[51] में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया

[49]डायरी संख्या 358242/जेएस एवं एलए(एआरआर) 2020, *सुप्रा*नोट 35, पैरा 7
[50]गृह मंत्रालय (ओआईए-II प्रभाग), कार्यालय ज्ञापन संख्या 25016/10/2017-आप्र (पीटी.), दिनांक 24 जनवरी, 2018: विदेश मामलों की स्थायी समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12, at 20, पैरा 1.47
[51]एआईआर 1978 एससी 597 : 1978 एससीआर (2) 621.

था कि नैसर्गिक न्याय "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" में निहित है, इसलिए संशोधित एनआरआई विधेयक, 2019 के संबंधित उपबंधों के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जिसका पासपोर्ट परिबद्ध किया जा रहा है।

एफ. भारतीय पति या पत्नी का परित्याग

2.58 निर्देशाधीन छठा प्रश्न इस प्रकार है "ऐसी महिला की सुरक्षा के लिए विधायी साधन क्या हैं जो अनिवासी भारतीय से विवाह करती है और या तो उसका परित्याग कर दिया जाता है या वह अपने वैवाहिक अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ होती है? क्या विद्यमान विधान में कोई तत्स्थानी उपबन्ध हैं? यदि नहीं, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस प्रकार का विधान लाया जा सकता है?"

2.59 यह एक निरंतर समस्या है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा अयुक्तियुक्त और कपटपूर्ण आधारों पर प्राप्त विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री के माध्यम से भारतीय पतिया पत्नी का परित्याग कर दिया जाता है। वे तथ्यों के सदोष व्यपदेशन के माध्यम से विदेशी विधिक प्रणाली के अधीन विवाह विच्छेद के उदार आधारों का लाभ उठाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय न्यायालय विदेशी राष्ट्रों की स्थानीय विधियों के अधीन इस आधार पर प्रदान की गई एकपक्षीय डिक्री को मान्यता नहीं देते हैं कि विवाह भारत में सम्पन्न हुआ था। इस अन्याय को रोकने के लिए एक विधि की आवश्यकता का अनुभव हुआ है, जहां विदेशी अधिकारिता वाले न्यायालयों से उनके भारतीय पतिया पत्नी की जानकारी के बिना विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली जाती है। स्थिति यह है कि एक व्यक्ति विदेश में विच्छिन्न विवाह व्यक्ति है, लेकिन पतिया पत्नी भारत में अभी भी पति या पत्नी हैं क्योंकि भारत में विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री को मान्यता नहीं दी गई है।[52]

(i) <u>सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908</u>

2.60 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 में ऐसे असाधारण आधार बताए गए हैं, जिनके आधार पर कोई विदेशी निर्णय किसी ऐसे मामले में निर्णायक होगा, जिस पर सीधे निर्णय लिया गया हो।

[52]विदेश मामलों पर स्थायी समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12, 20 पर, पैरा 1.46, महिला सशक्तिकरण पर समिति (2006 - 2007), सुप्रा नोट 8, 20 पर।

यदि निम्नलिखित आधार मौजूद हैं, तो किसी विदेशी निर्णय को भारत में मान्यता नहीं दी जा सकती:

" (क)वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है,

(ख) वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है,

(ग) कार्यवाहियों के सकृत दर्शने स्पष्ट है कि वह अन्तरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या [भारत] की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है, मान्यता देने से इंकार करने पर आधारित है,

(घ) वे कार्यवाहियां, जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया था, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हैं,

(ङ) वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है,

(च) वह [भारत] में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है ।"

2.61 इससे यह स्पष्ट होता है कि अनिवासी भारतीयों के भारत में संपन्न विवाहों के मामले में विदेशी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार, यदि किसी अनिवासी भारतीय द्वारा विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त करने के उद्देश्य से तथ्यों के सदोष व्यपदेशन के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है, तो विदेशी निर्णय को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी। कांसुलर मैनुअल (1983) के अध्याय 4 के अनुसार, "भारत में निवास करने वाले और भारतीय विधि के अनुसार विवाहित व्यक्तियों द्वारा भारतीय न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय से प्राप्त विवाह विच्छेद को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत में अपनी पत्नी के जीवनकाल के दौरान इस तरह का विवाह विच्छेद प्राप्त करने के बाद दोबारा विवाह करने वाला व्यक्ति भारत में अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।"[53]

2.62 विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री, जो उस देश में विधि मान्य है जहाँ इसे प्राप्त किया गया है, पक्षकारों के गृह देश में मान्यता प्राप्त नहीं हो सकेगी । इससे एक देश में विवाहित होने और दूसरे देश में विच्छिन्न विवाह व्यक्ति होने की विवादास्पद स्थिति पैदा होती है - जिसे "लिम्पिंग मैरिज" कहा जाता है। विधि संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब कोई विदेशी न्यायालय अपनी घरेलू विधियों के अधीन अधिकारिता ग्रहण करता है, जिसे भारतीय विधि के अधीन मान्यता प्राप्त नहीं भी हो सकती है। न्यायालयों को निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों, विदेशी डिक्री के सम्मान और सार्वजनिक नीति विचार जैसे कि एक तरफ "लिम्पिंग मैरिज" की रोकथाम और दूसरी तरफ पक्षों को उत्पीड़न से बचाने के बीच संतुलन बनाना होता है।

[53]विदेश मामलों पर स्थायी समिति (2019-2020), *सुप्रा* नोट 12

2.63 भारत में विवाह संपन्न होने के बाद, विदेश में अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा भारतीय पत्नियों का परित्याग या अभित्येजन, विदेशी भूमि में महिलाओं के लिए आर्थिक कठिनाई के साथ-साथ उनके लिए सामाजिक कलंक भी है। इस प्रकार, विदेश में प्राप्त विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री के आधार पर भारतीय पत्नियों को उनकी जानकारी और सहमति के बिना त्यागना क्रूरता का एक रूप है।

(ii) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की व्यापकता

2.64 किसी महिला की सुरक्षा के लिए, जो किसी अनिवासी भारतीय से विवाह करती है और या तो उसका परित्याग कर दिया जाता है या वह अपने वैवाहिक अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ होती है, विधायी साधन के रूप में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 83 और 85 सुसंगत हो सकती हैं। संहिता की धारा 83 के अनुसार:

"जो कोई, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसे कई मामले हैं जब गैर-निवासी भारतीय, जो पहले से ही विवाहित हैं या विदेश में अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते में रह रहे हैं, अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रीकरण का पालन न करके बेईमानी और धोखाधड़ी के इरादे से भारत में भारतीय पति या पत्नी के साथ विवाह करते हैं। ऐसे व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 83 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

2.65 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की पुरानी धारा 498क में सुधार है, यह उपबंध करती है कि:

"जो कोई, किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

इस प्रकार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के ये उपबंध उन अनिवासी भारतीयों के विरूद्ध लागू किए जाने के लिए उपयुक्त हैं, जिन्होंने अपने भारतीय पतिया पत्नीका विदेशी भूमि पर परित्याग करके उनके साथ क्रूरता की है।

2.66 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1(5) के अनुसार, इस संहिता के उपबंध भारत के किसी भी नागरिक द्वारा भारत के बाहर या उससे परे किसी भी स्थान पर किए गए किसी भी अपराध पर लागू होंगे। यहाँ "अपराध" शब्द के अन्तर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। इसके अलावा, संहिता की धारा l(4) में कहा गया है कि "*भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।*" भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1(4) और 1(5) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की पुरानी धारा 188 के अनुरूप) धारा 208 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसमें यह उपबंध है कि जब कोई नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करता है, चाहे वह समुद्र में हो या कहीं और, तो ''

> ...उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है, जहां वह पाया गया है या जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है:

परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।"

2.67 एनआरआई द्वारा परित्याग के बाद, पीड़ित पति या पत्नी विदेश में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए मुफ्त विधिक सहायता और सलाह के लिए भारतीय उच्चायोग को सम्पर्क कर सकते हैं। भारत में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएएलएसए) जैसे प्राधिकरणों को ऐसी परित्यक्त महिलाओं की मदद करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

जी. सम्मन या वारंट की तामील

2.68 निर्देशाधीन सातवां प्रश्न इस प्रकार है: "क्या 'अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019' के अध्याय V के अधीनय था विहित दांडिक न्यायालयों में समन/आदेशिका की तामील की कोई वैकल्पिक रीति है? क्या आदेशिका के मुद्दे एनआरआई पति या पत्नी के व्हाट्सएप /ई-मेल या उनके नियोक्ता के माध्यम से प्रभावी हो सकते हैं, जैसा कि भारत में प्रचलित है? क्या समन/आदेशिका की तामील की कोई वैकल्पिक रीति उन देशों में लागू हो सकती है, जहां डेटा गोपनीयता विधि लागू हैं?"

(i) इलेक्ट्रॉनिक संसूचना

2.69 दंड प्रक्रिया संहिता,1973 में तामील की रीति के बारे में बताया गया है, लेकिन व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं। भारतीय न्यायालय बार-बार तकनीकी की बदलती दुनिया के अनुसार विधियों के निर्वचन की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। *इंडियन बैंक एसोसिएशन बनाम भारत संघ*[54] में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को आदेशिका जारी करते समय व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता के बारे में सचेत किया था और डाक के साथ-साथ ईमेल द्वारा भी समन जारी करने का निदेश दिया था। एक स्वप्रेरणा से लिये संज्ञान के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने परिसीमा के विस्तार के लिए संज्ञान लेते हुए के संप्रेक्षित किया था और अभिनिर्धारित किया था कि नोटिस और समन की तामील ईमेल, फैक्स, सामान्यतया उपयोग की जाने वाली त्वरित संदेश सेवाओं जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल आदि के माध्यम से की जा सकती है।[55] बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़कर एक उदाहरण स्थापित किया कि व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से किये गये विधिक नोटिस, अभिवचन और समन की तामील प्रथम दृष्टया यह दिखाएगी कि नोटिस या समन दिया गया है। विधिक नोटिस और इस तरह के पत्राचार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजना और तामील करना बहुत आम हो गया है। इस प्रकार, विदेश मंत्रालय की अभिहित वेबसाइट पर समन और वारंट को बरकरार रखने की प्रक्रिया इस तकनीकी युग में संभव है। इस प्रकार वेबसाइट पर समन की तामील समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से समन की तामील के समान होनी चाहिए।

[54] (2014) 5 एससीसी 590.
[55] In re . परिसीमा विस्तार के लिए संज्ञान के संबंध में, 10 जुलाई, 2020 का आदेश, स्वप्रेरणा रिट याचिका (सी) संख्या 3, 2020।

2.70 यदि चूककर्ता अनिवासी भारतीय पति या पत्नी भारत के क्षेत्र से बाहर हैं और समन या वारंट की तामील वस्तुत: नहीं की जा सकती है, तो समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है:

(i) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2013 की धारा 110;

(ii) सिविल और वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में तामील पर हेग कन्वेंशन, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "हेग कन्वेंशन" कहा गया है); और,

(iii) पारस्परिक विधिक सहायता संधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एमएलएटी" कहा गया है)।

2.71 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 110 में समन, वारंट या न्यायिक आदेशिका की तामील के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी विदेशी राज्य के साथ पारस्परिक व्यवस्था किए जाने का उपबंध है। संहिता की धारा 110(1)(ii) में कहा गया है कि भारत में किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया समन या गिरफ्तारी वारंट निम्नलिखित रीति से तामील किया जाएगा:

"(ii) भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान में है, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा, दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के (जिसे इस धारा में इस के पश्चात्संविदाकारी राज्य कहा गया है) साथ व्यवस्था की गई है, वहां वह ऐसे न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे समन या वारंट को, दो प्रतियों में, ऐसे प्ररूप में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।"

(ii) हेग कन्वेंशन, 1965

2.72 हेग कन्वेंशन, 1965 (1 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ)[56] में अन्य देशों में समन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों की तामील करने की रीति का उपबंध करता है, जो ऐसे मामलों में विलम्ब को कम करने में सहायता करेगा। जबकि हेग कन्वेंशन प्रकृति में सामान्य है और सिविल प्रक्रियाओं से संबंधित है, यद्यपि यह विशेष रूप से विवाह से संबंधित मुद्दों से संबंधित नहीं है, तथापि यह न्यायिक

[56]निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि पर हेग कन्वेंशन, सिविल या वाणिज्यिक तरीके से न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर कन्वेंशन, 15 नवंबर, 1965

दस्तावेजों की त्वरित डिलीवरी और एनआरआई पति या पत्नी को भारतीय अदालतों के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर समन की तामील की सुविधा प्रदान करेगा।[57]

2.73 भारत इस हेग कन्वेंशन का एक पक्ष होने के नाते, जिसे "यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश में तामील किए जाने वाले न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेज़ों को अलग-अलग समय में अभिभाषक के ध्यान में लाया जाएगा, उचित साधन उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया था ", प्रक्रिया को सरल और तेज़ करके उस उद्देश्य के लिए पारस्परिक न्यायिक सहायता के संगठन में सुधार भी करना चाहता था। इसके अनुच्छेद 1 के अनुसार, हेग कन्वेंशन सिविल और वाणिज्यिक सभी मामलों में लागू होता है। कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 में यह उपबंध है कि "जहां तक किसी अनुबंधित राज्य की आंतरिक विधि अपने क्षेत्र के भीतर सेवा के लिए विदेश से आने वाले दस्तावेजों के संचरण की रीतियों को पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उपबंधित रीतियों के अलावा अनुमति देता है, वर्तमान कन्वेंशन ऐसे उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।"

2.74 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 110 भारत में न्यायालयों को विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से भारत से बाहर रहने वाले अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने के लिए सशक्त करती है। हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 से 6 में दोनों संविदा करने वाले राज्य पक्षों के भीतर तामील प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का उपबंध है।[58]

2.75 विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति (2012-2013) ने दृढ़ता से सिफारिश की है कि विदेशी राज्यों के साथ द्विपक्षीय बैठकों और कांसुलर वार्ता के दौरान अनिवासियों के वैवाहिक विवादों के मुद्दे को उठाने के लिए हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों के साथ बेहतर विचार-विमर्श स्थापित करने के प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया कि एक बार जब भारत हेग कन्वेंशन का भागीदार बन जाता है, तो यह उन दो विधिक प्रणालियों को जोड़ने में मदद करेगा, जिनसे

[57]महिला सशक्तिकरण समिति (2006-2007), *सुप्रा* नोट 8, पृष्ठ 20

[58]हेग कन्वेंशन, 1965: अनुच्छेद 15-

"जहां समन की रिट या समतुल्य दस्तावेज को वर्तमान कन्वेंशन के उपबंधों के तहत विदेश में भेजा जाना था, और प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ है, तब तक निर्णय नहीं दिया जाना चाहिए जब तक यह स्थापित न हो जाए कि -

a) दस्तावेज राज्य के आंतरिक न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि द्वारा भेजा गया था, जो उसके क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्तियों को घरेलू मामलों में दस्तावेजों की सेवा के लिए संबोधित था, या

b) दस्तावेज को इस कन्वेंशन द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिवादी या उसके निवास पर पहुंचाया गया था, और इनमें से किसी भी मामले में प्रतिवादी को बचाव करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त समय में अर्हता या वितरण किया गया था।प्रत्येक संविदाकारी राज्य यह घोषित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि न्यायाधीश, इस अनुच्छेद के प्रथम पैराग्राफ के प्रावधानों को न मानते हुए, सेवा या सुपुर्दगी का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भी निर्णय नहीं दे सकता, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं: क) दस्तावेज इस कन्वेंशन में दिए गए तरीकों में से किसी एक के द्वारा प्रेषित किया गया हो, ख) दस्तावेज के प्रेषित होने की तिथि से कम से कम छह महीने की अवधि बीत चुकी हो, जिसे न्यायाधीश विशेष मामले में पर्याप्त मानता हो, ग) किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो, भले ही संबोधित राज्य की सक्षम शाखाओं के माध्यम से इसे प्राप्त करने के लिए बहुत उचित प्रयास किए गए हों। अब, पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रावधानों के आधार पर न्यायाधीश, अत्यावश्यकता की स्थिति में, कोई अनंतिम या अग्रिम उपाय करने का आदेश दे सकता है।

एनआरआई पति और पत्नी संबंधित थे, ताकि दोनों अधिकारिताओं पर लागू उचित सिविल प्रक्रिया प्रदान की जा सके।[59]

2.76 हेग कन्वेंशन के अधीन प्रसारण का मुख्य चैनल वह है जहाँ एक संविदाकारी पक्ष में सक्षम कोई प्राधिकरण या न्यायिक अधिकारी उस संविदाकारी पक्ष के केंद्रीय प्राधिकरण को तामील के लिए अनुरोध प्रेषित करता है जिसमें तामील होनी है। अनुरोध हेग कन्वेंशन से उपाबध्य मॉडल प्ररूप के अनुरूप होना चाहिए। अनुरोधित संविदाकारी पक्ष का केंद्रीय प्राधिकरण स्वयं दस्तावेज़ की तामील करेगा या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी तामील की व्यवस्था करेगा। तथापि, अनुरोध करने वाला संविदाकारी पक्ष अनुरोध कर सकता है कि किसी विशेष प्रक्रिया का उपयोग इस सीमा तक किया जाए, कि यह अनुरोधित संविदाकारी पक्ष की विधि से असंगत न हो। अनुरोध को निष्पादित करने वाले प्राधिकरण को हेग कन्वेंशन से उपाबध्य प्रमाण पत्र को पूरा करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि तामील प्रभावित हुई थी और तामील को रोकने के कारण।[60]

(iii) पारस्परिक विधिक सहायता संधि

2.77 यह आमतौर पर देखा गया है कि विदेश में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के विरुद्ध नोटिस, समन या वारंट की तामील ऐसे देशों के साथ, जहां वैवाहिक मामलों में समस्या गंभीर है, एमएलएटी [61] जैसे द्विपक्षीय समझौतों का हिस्सा हो सकती है। भारत ने 42 देशों के साथ **(**पारस्परिक विधिक सहायता संधि) एमएलएटी की है। अन्य देशों के संबंध में, केंद्रीय सरकार पारस्परिकता का आश्वासन देकर न्यायिक कागजात भेजने का प्रयास करती है। तथापि, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, समन और अन्य न्यायिक आदेशिका विभिन्न कारणों से विलंबित हो जाती है।[62]

2.78 एमएलएटी देशों के मामले में, संसूचना की रीति एमएलएटी में अधिकथित की गई है और यह सीधे गृह मंत्रालय और दूसरे देश में केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या राजनयिक चैनल के माध्यम से की जा सकती है। पदाभिहित प्राधिकारी, अनुरोध पर विचार करने के बाद, अपनी एजेंसी को संबंधित

---

[59]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-2013), *सुप्रा* नोट 10, सिफारिश संख्या 27, एटी 22-23, पैरा 6'7

[60]विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की राय थी कि हेग कन्वेंशन
ऐसे मामलों में लागू होगा जहां किसी विदेशी न्यायालय और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा भारत में वर्तमान में रह रहे किसी व्यक्ति पर समन की तामील की जानी है या ऐसे मामलों में जहां भारतीय न्यायिक प्राधिकरण किसी विदेशी नागरिक पर समन की तामील का आदेश देता है, ऐसा विदेशी देश हेग कन्वेंशन का पक्षकार है।इस प्रकार, हेग कन्वेंशन एक हस्ताक्षरकर्ता देश से दूसरे हस्ताक्षरकर्ता देश को न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों के प्रसारण के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है, जो कन्वेंशन के तहत परिकल्पित चरणों के अनुसार है; उप, संख्या 358242/जेएस और एलए (एआरआर)/2020, सैप्रो नोट 35, 3 पर, पैरा 3

[61]पारस्परिक कानूनी सहायता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अधीन देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं ताकि औपचारिक सहायता प्रदान की जा सके और प्राप्त की जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति विभिन्न देशों में कानून की उचित प्रक्रिया से बच न सके या उसमें बाधा न डाल सके या साक्ष्य के अभाव में ऐसा न हो। भारत पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर द्विपक्षीय, संधियों, समझौतों, बहुपक्षीय संधियों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता प्रदान करता है।

[62]प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, विदेश में रहने वाले व्यक्तियों पर समन, नोटिस, न्यायिक प्रक्रिया की तामील के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। गृह मंत्रालय, एफ.सं. 25016/1712007- विधिक प्रकोष्ठ, दिनांक 11 फरवरी, 2009; गृह मंत्रालय, एफ.सं. 25016/5212019-एलसी, दिनांक 4 दिसंबर, 2019

व्यक्ति पर दस्तावेज तामील की करने का निदेश देता है और इसे उसी श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मोटे तौर पर अधिकांश देशों में यह प्रणाली है।[63] तथापि, कुछ देशों में, निजी कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों को भी न्यायिक कागजात की तामील सौंपी गई है। यह ध्यान रहे कि दस्तावेजों की तामील करना अनुरोधित देश का विवेक है और सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए किसी भी समय-सीमा की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।[64]

एच. अनिवासी भारतीय के विवाह का रजिस्ट्रीकरण और मुस्लिम स्वीय विधि

2.79 निर्देशाधीन आठवां प्रश्न इस प्रकार है: " अनिवासी भारतीयों के विवाह का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019 के अधीन विवाह प्रक्रिया क्या है, जहां आवेदक एनआरआई मुस्लिम स्वीयविधि द्वारा शासित होता है और उसके एक से अधिक पत्नियाँ हो?"

2.80 एनआरआई विधेयक, 2019 एक धर्मनिरपेक्ष विधि है, जो एक ऐसे व्यक्ति के विवाह के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया बताता है जो एक अनिवासी भारतीय है और व्यक्ति के धर्म के पहलू पर ध्यान नहीं देता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक से अधिक पत्नियाँ रखने वाले अनिवासी भारतीय मुस्लिम के विवाह के रजिस्ट्रीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है। एक सवाल यह उठता है कि क्या एन.आर.आई. विधेयक, 2019 एक अनिवासी भारतीय मुस्लिम को अनिवार्य रूप से अपना विवाह रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्य कर सकता है, जबकि उसके स्वीय विधिके अनुसार, उसे अपने विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब भारत में मुस्लिम स्वीय विधि के अधीन, मुस्लिम पुरुषों के लिए बहुविवाह की अनुमति है और वे चार पत्नियों से विवाह कर सकते हैं।

2.81 वर्तमान जांच के उद्देश्य से, मुस्लिम विधि के अधीन विवाह के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में गहराई से जाना आवश्यक है। काजी अधिनियम, 1880 राज्य सरकार को, मुसलमानों की शादी सम्पन्न करने में सहायता के लिए काजी नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है। काजी विवाह के आयोजन और कुछ अन्य संस्कारों और समारोहों का पालन कराने के लिए आवश्यक धार्मिक पदधारी हैं। तथापि, काजी अधिनियम, 1880 की धारा 4 में उपबंध है कि विवाह के आयोजन में काजी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है और यह काजी को कोई न्यायिक या प्रशासनिक शक्ति प्रदान नहीं

[63]नं.250l6/17/2007-लीगल सेल, पूर्वोक्त, पैरा.2

[64]यह ध्यान रहेकि भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी केवल आपराधिक मामलों में ही समन की तामील करना है

करता है। काजी द्वारा जारी किया गया निकाहनामा विवाह के रजिस्ट्रीकरण के उद्देश्य से विवाह के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है।

2.82 काजी अधिनियम, 1880 निजी काजियों पर लागू नहीं होता है और इसमें विवाहों के अभिलेखों की तैयारी और संरक्षण से संबंधित कोई उपबंध नहीं है। कुछ राज्यों में, अधिनियम को निजी काजियों पर लागू करने के लिए संशोधित किया गया था और सभी निजी और राज्य द्वारा नियुक्त काजियों को उन विवाहों का उचित अभिलेख बनाए रखने की आवश्यकता थी, जिन्हें संपन्न कराने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाए । बिहार, झारखंड, मेघालय, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम स्थानीय मुसलमानों के बीच विवाह के स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करते हैं।[65]

2.83 इन अधिनियमों के अधीन नियुक्त किए गए मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार को स्थानीय मुसलमानों के बीच विवाह का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना होता है। मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार की स्थिति काजी अधिनियम, 1880 के अधीन काजी के समान है। सभी स्थानीय विधि यह भी स्पष्ट करती हैं कि किसी भी विवाह के लिए राज्य द्वारा नियुक्त मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, और यह भी कि न तो रजिस्ट्रीकरण न कराने से किसी विवाह की वैधता प्रभावित होगी और न ही केवल रजिस्ट्रीकरण कराने से कोई विवाह वैध हो जाएगा जो मुस्लिम विधि के अधीन अवैध है। सभी मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन जिला रजिस्ट्रार के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीनकाम करना होगा और उन्हें हर महीने अपने रजिस्ट्रीकरण रिकॉर्ड उन्हें भेजने होंगे। रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को सभी मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों पर नियंत्रण रखना होगा।[66]

2.84 मुस्लिम विवाह उस राज्य के विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है जहाँ विवाह संपन्न हुआ है और पक्षकार निवास करते हैं या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन भारत में कहीं भी जहाँ विवाह के पक्षकार विवाह से कम से कम 30 दिन पहले निवास करते हैं। यदि किसी भी धर्म का व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के अधीन विवाह करता है तो विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में उल्लेख किया गया है कि "किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह संपन्न हो सकता है", जबकि विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के अनुसार, विवाह का रजिस्ट्रीकरण केवल

[65]भारतीय विधि आयोग, 211वीं रिपोर्ट (2008)। *सुप्रो* नोट 16, पृष्ठ 18
[66]पूर्वोक्त

तभी किया जाता है जब विवाह किसी विदेशी राज्य में उस देश की विधि के अनुसार विधिवत संपन्न हुआ हो, जिसमें से कम से कम एक पक्ष भारत का नागरिक हो।[67]

2.85 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 [68] के अधीन मुस्लिम दम्पति अपना विवाह रजिस्ट्रीकृत करवा सकता है। इस अधिनियम की धारा 15 (ख) मुस्लिम दम्पति के लिए विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक शर्त के रूप में एक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान करती है। एक विवाह को रिश्ते के एक पसंदीदा रूप के रूप में विधिक मान्यता समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित है। बहुविवाह संबंधों को प्रतिबंधित करते हुए एकल विवाह का समर्थन करना स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से एक विधायी विनिश्चय है। यदि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15 की सामग्री को एनआरआई विधेयक, 2019 में अपनाया जाता है, तो अनिवासी भारतीयों के धर्म की परवाह किए बिना विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का कार्यान्वयन संभव हो सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव समाज के किसी विशेष समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देगा, जो अनुचित रूप से विधि को क्लेशप्रद बना देगा।

---

[67]विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 (1969 का 33), धारा 17

[68]विशेष विवाह अधिनियम, 1954: धारा 15:-
" इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित विवाह से भिन्न विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो या उसके पश्चात् उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है विवाह अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों जाएं, अर्थात् :—

(क) पक्षकारों का परस्पर विवाह को चुका है और वे तब से बराबर पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं
(ख) किसी पक्षकार का एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है;
(ग) कोई पक्षकार रजिस्ट्रीकरण के समय जड़ या पागल नहीं है;
(घ) पक्षकार रजिस्ट्रीकरण के समय इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं;
(ङ) पक्षकारों में प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है :
परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में यह शर्त पक्षकारों में से प्रत्येक को शासित करने वाली किसी ऐसी विधि के या विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा के अध्यधीन होगी जिससे उन दोनों में विवाह अनुज्ञात हो; तथा
(च) पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर उस तारीख के ठीक पहले, जब विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विवाह अधिकारी से किया गया हो, कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहे हैं ।"

3. निष्कर्ष

3.1. विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन भारत में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 जैसे भारतीय विधानों द्वारा समाधान किया जाना अभी भी शेष है। तथापि, गतिशील, प्रगतिशील और खुले विचारों वाली भारतीय न्यायिक प्रणाली प्रायः विदेशों में रहने वाले वैश्विक भारतीय समुदाय की नई पीढ़ी की समस्याओं के लिए विद्यमान विधियों की व्यावहारिक व्याख्या करके पारिवारिक विधि विवादों और स्थितियों को बचाती है।

3.2. एनआरआई पतियों द्वारा अभित्यक्त भारतीय पत्नियों की समस्याओं को ठीक करने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 में ऐसे मामलों से निपटने के लिए उचित उपबंधों का अभाव था। तदनुसार, एनआरआई पतियों के विरुद्ध शिकायतें प्रायः भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 एके अधीन फ़ाइल की जाती थीं। तथापि, धारा 498 ए के अधीन शिकायतें कारगर नहीं होती थी क्योंकि एनआरआई को भारत में सुनवाई के लिए भेजने के अनुरोध विदेशी राज्यों द्वारा खारिज कर दिए जाते थे।

3.3. वर्तमान में, एनआरआई से निपटने के लिए कोई केंद्रीय विधि नहीं है। विवाह का रजिस्ट्रीकरण विभिन्न राज्य और विभिन्न समुदायों कीस्वीय विधियों पर निर्भर है। एनआरआई विधेयक, 2019 में पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन के द्वारा एनआरआई द्वारा विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की परिकल्पना भारतीय नागरिकों के विधिक अधिकारों की रक्षा की आशा के साथ की गई है, ताकि विदेशी राज्यों में भारतीय पति या पत्नी का एनआरआई पति या पत्नी द्वारा परित्याग कर दिये जाने पर, एनआरआई विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाकर और पासपोर्ट को परिबद्ध या प्रतिसंहृत करके और ई-समन की तामील को विधिमान्य बनाकर और अपचारी व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क करके भारतीय नागरिकों के विधिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।

3.4 एनआरआई विधेयक, 2019 एनआरआई को ऐसे भारतीय के रूप में परिभाषित करता है जो भारत गणराज्य के बाहर रहता है। तथापि, यह विनिर्दिष्ट नहीं करता है कि एनआरआई के रूप में अभिहित होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत से बाहर कितने दिन रहना चाहिए। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट नहीं है कि एनआरआई विधेयक, 2019 किस पर लागू होगा। एनआरआई की बहुत सामान्य और संदिग्धार्थ परिभाषा अभियुक्त को विधि से बचने में सरलता से सहायता करेगी और

उसे न्यायालय के समक्ष लाना कठिन बना देगी। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, एनआरआई एक भारतीय नागरिक है जो किसी विदेशी राज्य में 182 दिनों से अधिक अवधि तक रहता है। इस परिभाषा को स्वीकार करने से एनआरआई की वैवाहिक शिकायतों की एक बड़ी संख्या का वहां अपवर्जन किया जा सकता है, जहां एनआरआई पति या पत्नी 182 दिनों से कम अवधि के लिए विदेश में रह रहे हैं।[69] विदेशों में रहने वाले अधिकतम लोगों को विधि की परिधि में सम्मिलित करना सुनिश्चित करने के लिए, विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-13) ने इच्छा व्यक्त की थी कि एनआरआई को "भारत का नागरिक, जो पर्यटन को छोड़कर किसी भी प्रयोजन से भारत से बाहर निवास करता है " के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।[70]

3.5. भारत या विदेश में विवाह के 30 दिनों के भीतर विवाह रजिस्ट्रीकरण आज्ञापक बनाने का प्रयोजन, एनआरआई के यात्रा दस्तावेजों और विदेश में स्थायी आवासीय पते का ब्यौरा सुनिश्चित करना है। इससे एनआरआई का पता लगाने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, ताकि विभिन्न पारिवारिक विधियों के अधीन परित्यक्त पति या पत्नी के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विधिक कार्रवाई की जा सके।

3.6. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 में से कोई भी एनआरआई पति या पत्नी की जानकारी और समन की डिलीवरी का उपबंध नहीं करता है। एनआरआई विवाह के लिए रजिस्ट्रीकरण का रूप विधान विस्तृत होना चाहिए, जिसमें सबूत के साथ यात्रा दस्तावेज़, स्थायी निवास, विदेश में पता आदि का ब्यौरा शामिल हो। किसी भी समय ऑनलाइन पते को अपडेट करने का उपबंध भी होना चाहिए। यह एक अलग केंद्रीय एनआरआई विवाह रजिस्ट्री के सृजन के बाद किया जा सकता है, जिससे पता अपडेट करने की सुविधा के साथ एनआरआई विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक समान रूप विधान अपलोड करना समर्थ हो सके।

3.7. अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होने चाहिए। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विवाह अधिकारी द्वारा विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है। आशयित विवाह के पक्षकारों को उस विवाह अधिकारी को नोटिस देना होगा, जिसकी अधिकारिता में कम से कम एक पक्षकार नोटिस की तारीख से कम से

[69]आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 6) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (धारा 2(v)) के अधीन, एनआरआई को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहा हो। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(30) के अनुसार, अनिवासी वह व्यक्ति है जो 'निवासी' नहीं है, और अधिनियम की धारा 92बी, 93 और 168 के प्रयोजनों के लिए, इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो अधिनियम की धारा 6(6) के अर्थ में सामान्य रूप से निवासी नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी पिछले वर्ष में भारत में निवासी कहा जाता है, यदि वह अधिनियम की धारा 6(6) के अनुसार, उस वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहा हो।

[70]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-13); *सुप्रा* नोट 10, सिफारिश संख्या 5, 3-4 पर, पैरा 5; डायरीसं. 358242/जेएस एवं सीए (एआरआर)/2020, *सुप्रा*, नोट 35, पैरा 6.

कम 30 दिन पहले निवास कर चुका हो। नोटिस उप रजिस्ट्रार कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक महीने की समाप्ति के बाद, यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो विवाह संपन्न हो जाएगा। रजिस्ट्रीकरण विवाह संपन्न होने के बाद होना है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है, तो इसे 30 दिनों का सार्वजनिक नोटिस देने के बाद भी रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है।

3.8. विवाह प्रमाण-पत्र दो व्यक्तियों के एक-दूसरे के साथ विवाह का विधिक सबूत है। इस विधिक सबूत के आधार पर विभिन्न वैवाहिक अधिकारों का दावा किया जाता है। यदि विवाह अरजिस्ट्रीकृत है, तो विवाह की विधि मान्यता साबित करना कठिन हो सकता है। अधिकांश भारतीय राज्यों ने राज्यों के भीतर होने वाले विवाहों को रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक बनाने के लिए विधान अधिनियमित किये हैं। एनआरआई विवाहों के मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। विवाह प्रमाण-पत्र पक्षकारो को वस्तुत: जारी किए जाने से पहले एनआरआई पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी प्राधिकारी के पास रखे गए विवाह रजिस्टर में चिपकाई जाए। पति या पत्नी के पासपोर्ट पर विवाह प्रमाण-पत्र आज्ञापक रूप से चिपकाना निश्चित रूप से एक दस्तावेजी साक्ष्य और परित्यक्त होने पर उसके विवाह का सबूत प्रदान करेगा।[71]

3.9. पारिवारिक विधि के वे क्षेत्र जिनमें अधिकारिता की समस्या बारंबार उत्पन्न होती है, वे एनआरआई के विवाह के विघटन से संबंधित हैं। भारतीय तटों पर सभी असहाय, परित्यक्त भारतीय पतियों या पत्नियों को विदेशी न्यायालय में वैवाहिक मुकदमे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, जिससे वे निराशा, हताशा और घृणा में डूब जाते हैं। एक भारतीय पति या पत्नी वैवाहिक या विवाह विच्छेद के अनुतोष के लिए निम्नलिखित स्थानो पर कोई केस फाइल कर सकता है:

(क) उस स्थान पर जहां पति या पत्नी विदेशी राज्य में साधारणतया निवास करते हैं; या

(ख) भारत में, उस न्यायालय में जहां एनआरआई दंपत्ति ने केस फाइल करने से पहले अंतिम बार निवास किया था या फिर किसी ऐसे न्यायालय में जिसकी अधिकारिता में पत्नी वर्तमान में रह रही है।

3.10 पहले उदाहरण में, पति या पत्नी उस विदेशी राज्य में उपचार की मांग कर सकते हैं, जहां इसे कार्यान्वित करना आसान हो। जबकि यदि भारत में किसी न्यायालय से उपचार या राहत अभिप्राप्त

[71]विदेश मामलों की स्थायी समिति, 2012-13), *सुप्रा* नोट 10, सिफारिश संख्या 26, पैरा 22: विदेश मामलों की स्थायी समिति (2011-2012), *सुप्रा* नोट 9, 73-74 पर, पैरा 5.13.

की जाती है, तो विदेशी न्यायालयों में डिक्री के प्रवर्तन में कठिनाइयाँ होती हैं और पति या पत्नी को डिक्री के प्रवर्तन के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है। बाद के मामले में, यदि पति या पत्नी भारत में विवाह विच्छेद के लिए केस फाइल करते हैं या कोई अन्य राहत चाहते हैं, तो संभावना है कि दूसरा पति या पत्नी केस में प्रतिवाद करने के लिए नहीं आए, जिससे याचिकाकर्ता पति या पत्नी के पक्ष में एकपक्षीय डिक्री हो सकती है। भारत में इस तरह के डिक्री का प्रवर्तन कठिन नहीं है क्योंकि डिक्री अंतिम हो जाती है, बशर्ते कि समन की तामील की उचित और स्वीकार्य रीति हो।

3.11. निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे परिदृश्यों में अधिकारिता के दो मुद्दों का सामना करती है। पहला, यह अवधारित करना कि जिस न्यायालय के समक्ष केस फाइल किया गया है, उसके पास केस के विचारण की अधिकारिता है या नहीं। दूसरा, किसी विदेशी निर्णय को मान्यता देने के बारे में विनिश्चय करने के लिए, एक परिषद को बुलाया जाएगा जो यह समाधान करेगी कि जिस विदेशी न्यायालय ने निर्णय दिया था, वह सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय थाया नहीं। किसी विदेशी न्यायालय को भारतीय निजी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अंतर्राष्ट्रीय अधिकारिता वाला माना जाता है यदि निर्णीत ऋणी:

i. कार्यवाहियाँ आरंभ होने के समय किसी विदेशी राज्य (अर्थात मूल राज्य) का नागरिक था;

ii. कार्यवाहियाँ आरंभ होने के समय विदेशी राज्य में निवासी था;

iii. विदेशी न्यायालय की अधिकारिता को स्वीकार कर लिया था;

iv. स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था।

3.12. *लेक्स डोमिसिली* और *लेक्स लोकी सेलेब्रेशनिस* विधि संघर्ष के संबंध में लैटिन शब्द हैं। विधि संघर्षलोक विधि की वह शाखा है जो विदेशी विधितत्व से जुड़े सभी मुकदमों को विनयमित करती है, जहाँ परिणाम में अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि लागू की गई है । जब कोई केस न्यायालय के समक्ष आता है और केस की सभी मुख्य विशेषताएँ स्थानीय होती हैं,तो न्यायालय केस का विनिश्चय करने के लिए *लेक्सफोरी,*अर्थात प्रचलित नगर विधि को लागू करेगा।[72]

72ये दोनों शब्द सामान्य विधिक प्रणाली में मामले के पक्षकारों की स्थिति और क्षमता पर लागू कानून के विकल्प हैं। सिविल कानून प्रणाली में, लेक्स पैट्रिया का परीक्षण किया जाता है। कार्यवाही शुरू होने के समय 'निवास' के विपरीत किसी व्यक्ति का 'निवास', अपने निर्णय के प्रवर्तन के लिए विदेशी परिषद की योग्यता स्थापित करने में प्रासंगिक है। 'निवास' भौतिक तथ्य को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति को एक निवासी के रूप में दर्शाता है, बशर्ते कि यह क्षणभंगुर, अस्थायी या आकस्मिक न हो। निवास, किसी व्यक्ति के किसी देश में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे को संदर्भित करता है, 'केवल एक विशेष या अस्थायी उद्देश्य के लिए नहीं'। दूसरे शब्दों में, निवास पूरे देश का है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति बिना निवास के नहीं रह सकता है, और किसी के पास दो निवास नहीं हो सकते हैं। हालाँकि किसी व्यक्ति का इरादा किसी विदेशी राज्य में अपना निवास स्थापित करने में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह स्वैच्छिक और वैध होना चाहिए। इसके अलावा, यह आदतन है, मूल राज्य में सामान्य निवास के विपरीतहै जो प्रासंगिक है।

3.13. इसके अतिरिक्त, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 दो विदेशियों के बीच विवाह की विधि मान्यता को शासित नहीं करता है। यह प्रत्याशा की जाती है कि भारतीय न्यायालय औपचारिक विधि मान्यता अवधारित करने के लिए *लेक्स लोकी सेलेब्रेशनिस* को लागू करेंगे और लोक नीति के अभिभावी नियम के अध्यधीन विवाह की तात्त्विक विधिमान्यता अवधारित करने के लिए *लेक्स डोमिसिली* को लागू करेंगे।

3.14. यदि कोई भारतीय विदेश में बसता है, और भारत में विवाह करता है, तो विवाह उस भारतीय विधि द्वारा शासित होगा जिसके अधीन उन्होंने विवाह किया है। न्यायालय विदेशी निर्णय से जुड़े मामले में निजी अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को लागू करेगा, जहां ऐसे पक्षकार विदेशी हैं, या पक्षकारों में से एक पक्षकार विदेशी है, या उसके समक्ष मुद्दों के अवधारण के लिए कोई विदेशी विधि सम्मिलित है।

3. 15. *नीरजा सराफ बनाम जयंत सराफ*[73] में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभनिर्धरित किया कि अधिकांश देशों में अधिकारिता की धारणा और वैवाहिक मामलों में राहत देने के लिए राष्ट्रीयता के नियम की जगह अधिवास का नियम लागू होने से विधि संघर्ष हुआ है। इस प्रकार इसने अनिवासी भारतीय और भारतीय महिला के बीच भारत में हुए विवाह को विदेशी न्यायालय द्वारा बातिल न किए जाने जैसे उपबंध का सुझाव दिया है। भारतीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को विदेशी न्यायालयों में सौहार्द के सिद्धांत और पारस्परिक समझौता करके निष्पादन योग्य किया जा सकता है।

3.16. संकट में फंसी महिलाओं को सहायता देने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायतें, वीजा विस्तार आदि भी है, का उपबन्ध एमएलएटी या विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों में किया जाना चाहिए, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अपचारी पति की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की की सुविधा शामिल है। हेग कन्वेंशन के सदस्य देशों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और विदेशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों और कांसुलरी वार्ताओं के दौरान लगातार अनिवासी भारतीयों के मुद्दों को उठाने के प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए। एमएलएटी का उद्देश्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध को कम करने में सहायता करना है। जिन देशों ने एक-दूसरे के साथ एमएलएटी पर हस्ताक्षर किए हैं, वे मांगी गई सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जबकि गैर एमएलएटी देश किसी भी दायित्व को वहन नहीं करते हैं। सरकार को संबंधित विदेशी सरकार को पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर अनुरोध करना होगा।

[73](1994) 6 एससीसी 461.

3.17 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 भारत और विदेशी न्यायालयों के बीच पारस्परिक ठहरावों पर चर्चा करती है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय समन, वारंट या न्यायिक आदेशिकाओं की तामील के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये ठहरावों का पालन करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यह भी कहा गया है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र दिया जा सकता है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में भारतीय दांडिक न्यायालय द्वारा अनुरोध पत्र या अनुरोध पत्र को संबोधित करने की प्रक्रिया भी अधिकथित करता है। एमएलएटी ऐसी पारस्परिक ठहरावों में से एक होगी, और इसलिए, यदि भारत और किसी विदेशी राज्य ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसकी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय को प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक सुनियोजित अभ्यास का निदेश या प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए, जिसमें विदेश में भारतीय उच्चायोग को ऐसी दुर्भाग्यशाली परित्यक्त अनिवासी भारतीय दुल्हनों को सार्थक कांसुलर सहायता प्रदान करने का निदेश दिया जाए।

4. अनुशंसाएं

4.1. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, विधि आयोग अनुशंसा करता है कि प्रस्तावित केंद्रीय विधान के अधीन एनआरआई की परिभाषा, एनआरआई विवाहों से संबंधित सभी पहलुओं से निपटने के लिए व्यापक और सर्वव्यापी बनाई जानी चाहिए। इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि ऐसी परिभाषा का प्रयोजन विधि की दृष्टि से परित्यक्त पति या पत्नी को दोषी पति या पत्नी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए, एक संकुचित परिभाषा से उत्पन्न तकनीकी विनिर्देशों को, प्रस्तावित विधान के उस प्रयोजन को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसका प्राप्त करना आशयितहै । अधिकतम लोगों को शामिल करने के लिए परिभाषा, जैसा कि विदेश मामलों पर स्थायी समिति (2012-2013) द्वारा सिफ़ारिश की गई है, "*भारत का नागरिक, जो पर्यटन को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए भारत से बाहर निवास करता है*"[74] हो सकती है। इसके अलावा, यह अनिवार्य है कि ऐसा व्यापक विधान सभी ओसीआई के साथ-साथ पीआईओ पर भी लागू हो। विधान में यह उपबन्ध किया जाएकि यह सभी एनआरआई के साथ-साथ ओसीआई (या पीआईओ) पर भी लागू होगा, जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ए के अधीन परिभाषित किया गया है। इस संबंध में, यह रेखांकित करना उचित है कि चूंकि ऐसा विधान न केवल एनआरआई पर बल्कि ओसीआई (या पीआईओ) पर भी लागू होगा, इसलिए प्रस्तावित अधिनियम का नाम भी तदनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।

4.2. यह अनुशंसा की जाती है कि एनआरआई/ओसीआई द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता है। जैसा कि पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है, रजिस्ट्रीकरण एक वैध साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, जबकि साथ ही यह विवाहों की रजिस्ट्री के रूप में अभिलेख रखने में सहायता करता है। यदि विवाह अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, तो पति-पत्नी से संबंधित सभी रिकॉर्ड संबंधित सरकारी विभाग, अधिमानतः गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध होगी। इसके बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय द्वारा सुलभ होगी और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

4.3. तथापि, ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ कोई नागरिक अपने विवाह के बाद एनआरआई/ओसीआई बना हो। केवल एनआरआई/ओसीआई के लिए रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाने

[74]विदेश मामलों की स्थायी समिति (2012-2013), *सुप्रो* नोट 12, सिफारिश संख्या 5, 3-4 पर, पैरा 5; डायरी. सं. 358242/जेएस एवं एलए (एआरआर)/2020, *सुप्रो* नोट 35, पैरा 6.

में एकमात्र कठिनाई यह है कि हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के पहले के विवाह रजिस्ट्रीकृत नहीं हों क्योंकि वर्तमान में भारत में विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को शासित करने वाली कोई व्यापक या समान विधि नहीं है। इसलिए, विशिष्ट मामलों में विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाने के बजाय, इसे सभी मामलों के लिए सामान्य रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, विधान में यह उपबंध किया जा सकता है कि यदि कोई विवाहित भारतीय नागरिक तत्पश्चात एनआरआई/ओसीआई बन जाता है, तो उसके लिए अपनी विवाह को रजिस्ट्रीकृत करवाना अनिवार्य होगा यदि उसने पहले ऐसा नहीं किया है।

4.4. इसके अतिरिक्त, यह अनुशंसा की जाती है कि एनआरआई/ओसीआई विवाहों के विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाला प्रस्तावित व्यापक विधान परित्यक्त पति या पत्नी की अभिरक्षा, पुनर्वास, बालक की देखभाल आदि सहित सभी पहलुओं से निपटेगा और इसमें न्यायालयों की अधिकारिता, समन की तामील आदि के उपबंध भी सम्मिलित किये जायेंगे। इस संबंध में यह ध्यान रखना उचित है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 63 (ii) न्यायालयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन जारी करने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, उद्घोषित अपराधी की संपत्ति की कुर्की के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में धारा 86 के अधीन एक नया उपबंध सम्मिलित किया गया है। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को अभी भी पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर कार्यान्वित किया जाना है, विदेश में रहने वाले एनआरआई /ओसीआई के विशिष्ट मामले में समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेजों की तामील के संबंध में दांडिक प्रक्रियाओं का समाधान नहीं किया गया है। इसलिए, यह सिफ़ारिश की जाती है कि एनआरआई और ओसीआई (पीआईओ) से निपटने वाले नए विधान में अतिरिक्त उपबंधों को शामिल किया जाए, ताकि भारत में भारतीय पति या पत्नी के साथ विवाह से संबंधित वैवाहिक मामलों में भारत में न्यायालय के समक्ष चूक करने वाले एनआरआई/ओसीआई की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। न्यायालय के समक्ष इस तरह की उपस्थिति विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुगम बनाई जा सकती है ताकि किसी भी कारण से शारीरिक रूप से उपस्थिति संभव न होने पर अभियुक्त की डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

4.5 इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि एनआरआई विधेयक, 2019 का विस्तार किया जाए और इसमें एनआरआई/ओसीआई के विवाह के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित उपबंध शामिल किए जाएं:

*"**1. विवाह के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया.**- (1) जब इस अधिनियम के अधीन विवाह सम्पन्न किया जाना हो, तो विवाह के पक्षकार उस जिले के, जिसमें विवाह के पक्षकारों में से कम से कम एक पक्षकार ऐसी सूचना दिए जाने की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व तक निवास कर चुका हो, विवाह अधिकारी को सूचना देंगे।*

(2) विवाह अधिकारी ऐसी सभी सूचनाओं को कार्यालय अभिलेखों में रखेगा तथा प्रत्येक ऐसी सूचना की सत्य प्रतिलिपि विवाह सूचना पुस्तिका में प्रविष्ट करेगा, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

(3) ऐसी सूचना को 30 दिन के भीतर आपत्ति की जाने के लिए अपने कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपका कर प्रकाशित किया जाएगा।

(4) यदि किसी आशयित विवाह के पक्षकारों में से कोई भी उस विवाह अधिकारी के जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा है, जिसे सूचना दी गई है, तो ऐसा विवाह अधिकारी ऐसी सूचना की एक प्रति उस संबंधित जिले के विवाह अधिकारी को भेजेगा जहां ऐसा पक्षकार स्थायी रूप से निवास कर रहा है, जिससे वह उस प्रति को अपने कार्यालय में किसी सहज दृश्य स्थान पर चिपका दे।

(5) यदि किसी आशयित विवाह पर कोई आपत्ति की जाती है, तो विवाह अधिकारी तब तक विवाह संपन्न नहीं कराएगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि आपत्ति वैध नहीं है या आपत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा आपत्ति वापस ले ली गई है।

(6) विवाह संपन्न होने से पहले पक्षकार और दो साक्षी ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, विवाह अधिकारी की उपस्थिति में एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे और घोषणा पर विवाह अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(7) विवाह किसी भी ऐसे रूप में संपन्न हो सकेगा जिसे पक्षकार अपनाना चाहें।

(8) जब इस अधिनियम के अधीन विवाह संपन्न हो जाता है, तो विवाह अधिकारी पक्षकारों को विवाह प्रमाण-पत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा।

(9) विवाह अधिकारी द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र में एनआरआई/ओसीआई पतियापत्नी के विदेशी घर की सुरक्षा संख्या, पासपोर्ट की वैध संख्या, स्थायी आवासीय पता और संक्षिप्त सुसंगत ब्योरे शामिल होंगे।

(10) विवाह प्रमाणपत्र इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य माना जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन विवाह सम्पन्न हो चुका है।

(11) विवाह अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करने के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी ऐसे न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विवाह का अनुष्ठान किया गया है, आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर ऐसे न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।"

4.6. यह अनुशंसा की जाती है कि एनआरआई विधेयक, 2019 को विवाह विच्छेद से संबंधित अतिरिक्त निम्नलिखित उपबंधों के साथ पुनरीक्षित किया जाए:

"***1. विवाह विच्छेद***.- *(l) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, विवाह विच्छेद के लिए याचिका जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी न्यायालय में एनआरआई /ओसीआई पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है कि प्रतिवादी:*

क) ने विवाह संपन्न होने के पश्चात्अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए हैं, या

ख) ने याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता का अभित्यजन कर दिया है; या

ग) सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा भुगत रहा है; या

(d) ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है; या

ङ) असाध्य रूप से विकृत चित्त का है तथा लगातार या बीच-बीच में ऐसी मानसिक रुग्णता से और इस सीमा तक ग्रस्त है कि याचिकाकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रह सके; या

च) संक्रामक रूप में यौन रोग से पीड़ित हो; या

छ) उन व्यक्तियों द्वारा सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक उसके जीवित होने के बारे में नही सुना, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रत्यर्थी के बारे में सुना होता यदि वह जीवित होता।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में, ' अभित्यजन ' का अर्थ विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के तथा ऐसे याचिकाकर्ता की सहमति के बिना या ऐसे

याचिकाकर्ता की इच्छा के विरुद्ध याचिकाकर्ता का अभित्यजन कर दिया है और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझ कर उपेक्षा करना भी शामिल है, तथा इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एनआरआई/ओसीआई की पत्नी जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी न्यायालय में इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगी कि:

i. एनआरआई/ओसीआई पति विवाह के पश्चात् से बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है।

ii. पति के विरुद्ध पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए डिक्री या आदेश, उसके पति से अलग रहते हुए भी पारित किया गया है, और इस तरह की डिक्री या आदेश केपारित होने के पश्चात्, पक्षकारों के बीच एक वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास फिर से आरंभ नहीं हुआ

(3) इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, विवाह का कोई भी पक्षकार, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी ऐसे न्यायालय में इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा कि:

i. विवाह के पक्षकारों के बीच, किसी कार्यवाही में, जिसमें वे पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के पश्चात् एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक सहवास की कोई बहाली नहीं हुई है; या ii. विवाह के पक्षकारों के बीच, किसी कार्यवाही में, जिसमें वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित होने के पश्चात् एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक दाम्पत्य अधिकारों की कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई है।

***2. आपसी सहमति से विवाह विच्छेद**.- (l) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, विवाह विच्छेद के लिए याचिका जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी ऐसे न्यायालय में दोनों पक्षकारों द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत की जा सकेगी कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं, वे एक साथ नहीं रह पाए हैं और उन्होंने आपसी सहमति से विवाह को विघटित करने पर सहमति व्यक्त की है।*

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट याचिका प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने के पश्चात् और उक्त तारीख से अठारह महीने के अपश्चात् पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर, यदि इस

बीच याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्,जैसा वह उचित समझे, समाधान होने पर कि इस अधिनियम के अधीन विवाह संपन्न हुआ है और याचिका में दिए गए कथन सत्य हैं, विवाह को डिक्री की तारीख से विघटित घोषित करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करेगा

3. विवाह के पश्चात्, पहले एक वर्ष के दौरान विवाह विच्छेद के लिए याचिकाओं पर प्रतिबंध.- *(1) जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी ऐसे न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए कोई याचिका तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को विवाह की तारीख से एक वर्ष बीत न गया हो:*

परंतु यह कि न्यायालय विवाह की तारीख से एक वर्ष बीत जाने से पहले याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति इस आधार पर दे सकेगा कि मामला याचिकाकर्ता के लिए असाधारण कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण दुराचार का है, किन्तु यदि याचिका की सुनवाई के समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने मामले की प्रकृति को किसी दुर्व्यपदेशन द्वारा या छिपाकर के याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति अभिप्राप्त की है, तो न्यायालय, यदि वह डिक्री सुनाता है, तो इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकता है कि डिक्री विवाह की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी या याचिका को खारिज कर सकेगा।

(2) विवाह की तारीखसे एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए इस धारा के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई न्यायालय विवाह से उत्पन्न किसी भी बालक के हितों को ध्यान में रखेगा और इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेगा कि क्या उक्त एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व पक्षकारों के बीच सुलह की युक्तियुक्त संभावना है।

4. कार्यवाही में डिक्री.- *(1) इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में, चाहे प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि:*

क) राहत देने के लिए कोई भी आधार विद्यमान है; और

(ख) जब आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की जाती है, तो ऐसी सहमति बल, कपट या अनुचित प्रभाव से अभिप्राप्त नहीं की गई है; और

(ग) कोई अन्य विधिक आधार नहीं है कि राहत क्यों न दी जाए,तो न्यायालय तदनुसार ऐसी राहत की डिक्री परित कर देगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई राहत देने के लिए आगे बढ़ने से पहले, प्रत्येक मामले में जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा करना संभव है, न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह पक्षकारों के बीच सुलह कराने का हर संभव प्रयास करे।

(3) ऐसा सुलह कराने में न्यायालय की सहायता करने के प्रयोजन से, यदि पक्षकार ऐसा चाहते हैं या यदि न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत और उचित समझता है, तो कार्यवाही को पंद्रह दिन से अनधिक की उचित अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा, और मामले को पक्षकारों द्वारा इस संबंध में नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को या यदि पक्षकार किसी व्यक्ति का नाम बताने में असफल रहते हैं, तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को इस निदेश के साथ निर्देशित कर सकेगा कि न्यायालय को रिपोर्ट दी जाए कि क्या सुलह हो सकती है और हुई है, और न्यायालय कार्यवाही का निपटारा करते समय रिपोर्ट पर समुचित ध्यान देगा।

(4) प्रत्येक मामले में जहां विवाह,विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित किया जाता है, डिक्री पारित करने वाला न्यायालय प्रत्येक पक्षकार को उसकी एक प्रति निःशुल्क देगा।

*5. **विवाह विच्छेद और अन्य कार्यवाही में प्रतिवादी के लिए राहत.-**विवाह विच्छेदके लिए किसी भी कार्यवाही में, प्रतिवादी न केवल याचिकाकर्ता के व्यभिचार, क्रूरता या अभित्यजन के आधार पर मांगी गई राहत का विरोध कर सकेगा, बल्कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी राहत के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा, और यदि याचिकाकर्ता का व्यभिचार, क्रूरता या अभित्यजन साबित हो जाता है, तो न्यायालय प्रतिवादी को इस अधिनियम के अधीन कोई भी राहत दे सकेगा, जिसके लिए वह हकदार होती अगर उसने उस आधार पर ऐसी राहत की मांग करने वाली याचिका प्रस्तुत की होती।*

4.7. यह अनुशंसा की जाती है कि वादकालीन निर्वाह व्यय, स्थायी निर्वाह व्यय और भरण-पोषण से संबंधित निम्नलिखित प्रस्तावित उपबंध एनआरआई विधेयक, 2019 को, एनआरआई विवाह पर एक व्यापक विधान के रूप में अपना क्षेत्र बढ़ाने में सहायता करेंगे।

"**1. वाद कालीन भरण-पोषण और कार्यवाही का व्यय. -** जहां जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी ऐसे न्यायालय को यह प्रतीत होता है

कि एनआरआई /ओसीआई पतियापत्नी के पास अपने भरण-पोषण और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए स्वतंत्र आय नहीं है, तो वह ऐसे पति या पत्नी के आवेदन पर प्रतिवादी को आदेश दे सकता है कि वह याचिकाकर्ता को कार्यवाही का व्यय और कार्यवाही के दौरान प्रति सप्ताह या मासिक ऐसी राशि का संदाय करे, जो याचिकाकर्ता की अपनी आय और प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त लगे:

परंतु यह कि कार्यवाही के व्यय और कार्यवाही के दौरान प्रति सप्ताह या मासिक ऐसी राशि के संदाय के लिए आवेदन का, जहां तक संभव हो एनआरआई/ओसीआई पति या पत्नी को नोटिस की तामील की तिथि से साठ दिनों के भीतर निपटारा कर दिया जाए।

2 स्थायी निर्वाहव्यय और भरण-पोषण.- (l) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, कोई डिक्री पारित करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, आवेदन किए जाने पर आदेश कर सकेगा कि एनआरआई/ओसीआई पति या पत्नी अपने भरण-पोषण और सहायता के लिए एनआरआई /ओसीआई पति या पत्नी की संपत्ति पर एक प्रभार द्वारा ऐसी सकल राशि या ऐसी मासिक या आवधिक भुगतान सुरक्षित करेंगे जो उसके जीवनकाल से अधिक अवधि के लिए न हो, जो उसकी अपनी संपत्ति, यदि कोई हो, उसके एनआरआई /ओसीआई पति या पत्नी की संपत्ति और क्षमता, पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय न्यायसंगत समझे।

(2) यदि जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उप-धारा (l) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात् किसी भी समय किसी भी पक्षकार की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो वह किसी भी पक्षकार के कहने पर ऐसे किसी भी आदेश को इस तरह से परिवर्तित, उपान्तरित या रद्द कर सकेगा जो न्यायालय को न्यायसंगत लगे।

(3) यदि जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता हैकि जिस पति या पत्नी केपक्ष में इस अधिनियम के अधीन आदेश दिया गया है, उसने पुनर्विवाह कर लिया है या व्यभिचार में रह रहा है, तो वह पति के कहने पर ऐसे किसी भी आदेश को ऐसी रीति में परिवर्तित, उपान्तरित या रद्द कर सकेगा जो न्यायालय को न्यायसंगत लगे। "

4.8 यह अनुशंसा की जाती है कि एनआरआई विधेयक, 2019 में बाल सहायता से संबंधित उपबंधों की, जिसमें अवयस्क बालको की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा भी शामिल है, निम्नलिखित रूप में परिगणना की जाने की आवश्यकता है:

"**1. बालको की अभिरक्षा और भरण-पोषण**.- इस अधिनियम के अधीन किसी भी वाद में, न्यायालय समय-समय पर अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और अंतिम डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह अठारह वर्ष से कम आयु के ऐसे बालको की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में उचित और न्यायसंगत समझे, जिनके माता-पिता का विवाह ऐसे वाद का विषय है, और अंतिम डिक्री के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए याचिका द्वारा आवेदन पर, ऐसे बालको की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में ऐसे सभी आदेश और उपबंध समय-समय पर बना सकेगा, रद्द कर सकेगा, निलंबित कर सकेगा या उनमें परिवर्तन कर सकेगा जो ऐसी अंतिम डिक्री द्वारा या अंतरिम आदेशों द्वारा किए जा सकते थे, यदि ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद अभी भी लंबित होता:

परंतु यह कि कार्यवाही के दौरान अवयस्क बालको के भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में आवेदन का निपटारा प्रतिवादी को नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।"

4.9 विवाह का रजिस्ट्रीकरण न कराने, विवाह विच्छेद् की एकपक्षीय डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए विदेशी न्यायालय के समक्ष तथ्यों का दुर्व्यपदेशन, भारतीय पति या पत्नी का अभित्यजन और भारतीय पति या पत्नी के साथ क्रूरता और उत्पीड़न के लिए दंड का उपबंध करने के लिए, यह सिफारिश की जाती है कि एनआरआई विधेयक, 2019 में निम्नलिखित उपबंधों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है:

1. कतिपय मामलों में पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों का निलंबन- *(l) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित किसी अधिकारी यह समाधान हो जाता है कि एनआरआई/ओसीआई पति या पत्नी के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों को परिबद्ध या प्रतिसंहृत किया जाना अपेक्षित है, और यदि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह-*

क) आदेश द्वारा, किसी भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सकेगा;

घ) ऐसा अन्य समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जिसका प्रभाव किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को चार सप्ताह से अनधिक अवधि के लिए अवैध ठहराने पर पड़ सकेगा:

परंतु यह है कि यदि अभिहित अधिकारी उचित समझे तो वह आदेश द्वारा और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में परिवर्तन, परिबद्ध या प्रतिसंहृत करने से संबंधित कार्यवाही समाप्त होने तक उक्त चार सप्ताह की अवधि बढ़ा सकेगा:

परंतु यह और है कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के प्रत्येक धारक को, जिसके संबंध में इस उपधारा के उप-खंड (क) और (ख) के अधीन आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश पारित किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह से अधिक की अवधि के भीतर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो लिखित आदेश द्वारा इस उपधारा के अधीन पारित आदेश को उपान्तरित कर सकेगी या वापस ले सकेगी ।

(2)अभिहित अधिकारी इस उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश को संबंधित प्राधिकारी जैसे हवाई अड्डा या अन्य पोतारोहण या अप्रवासन बिंदु तथा पासपोर्ट प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा।

(3) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी इस उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति पर तुरंत ऐसे आदेश को प्रभावी करेगा।

4.10. समन या वारंट की प्रभावी तामील तथा फरार एनआरआई/ओसीआई की संपत्ति की कुर्की के संबंध में यह अनुशंसा की जाती है कि एनआरआई विधेयक, 2019 में एनआरआई के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपबंध शामिल किया जाए:

*"**1. समन और वारंट की तामील** .- (l) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी एनआरआई/ओसीआई को इस अधिनियम के अधीन न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि जारी किए गए समन की तामील नहीं की जा सकती तो न्यायालय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर सूचना के सार के साथ समन अपलोड करके समन जारी कर*

सकेगा और समन की ऐसी अपलोडिंग निश्चायक साक्ष्य होगी कि सम्मन ऐसे एनआरआई/ओसीआई पर तामील कर दिया गया है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन समन किया गया एनआरआई/ओसीआई समन द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने सम्यक रूप से प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा और उप-धारा (1) के अधीन जारी समन के विवरण के साथ गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सूचना के सार के साथ वारंट को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर अपलोड कर सकेगा:

परंतु यह है कि न्यायालय, उसके द्वारा समन किए गए एनआरआई /ओसीआई के आवेदन पर और आवेदक की उसके समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थता के लिए आवेदन में दिए गए औचित्य के बारे में आश्वस्त होने पर, उसे किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से,जो वह उचित समझे ,उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा।

(3) जहां कोई एनआरआई /ओसीआई उपधारा (2) के अधीन वेबसाइट पर अपलोड किए गए वारंट में उल्लिखित समय और स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकेगा और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर इस आशय की घोषणा अपलोड कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन उद्घोषणा अपलोड करने के पश्चात्, यदि अभियुक्त ऐसी उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित में यह कथन कि उद्घोषणा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विशेष रूप से अभिहित वेबसाइट पर सम्यक रूप से अपलोड की गई थी, निर्णायक साक्ष्य होगा कि वारंट अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया है और यह माना जाएगा कि वारंट की तामील हो गई है।

(5) उपधारा (3) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय उद्घोषित अपराधी की किसी भी जंगम या स्थावर या दोनों सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 83 से 86 (या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 85 से 89) के अधीन उपबंध ऐसे मामलों में लागू होंगे।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन कुर्क की गई सम्पत्ति में उद्घोषित अपराधी का संयुक्त रूप से उसके और अन्य सह-स्वामियों या सह-हिस्सेदारों का हिस्सा या हित शामिल है, ऐसी कुर्की केवल उद्घोषित अपराधी के ऐसे हिस्से या हित के संबंध में ही प्रभावी होगी।

4.11. यह भी अनुशंसा की जाती है कि वैवाहिक प्रास्थिति की घोषणा और पति या पत्नी के पासपोर्ट को दूसरे के पासपोर्ट से लिंक करना अनिवार्य करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में आवश्यक संशोधन पुरःस्थापित किए जाएं । विवाह रजिस्ट्रीकरण संख्या का उल्लेख करने के लिए इसमें एक अलग कॉलम का उपबंध किया जाएगा। गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के भीतर एक अलग प्रभाग भी बनाया जाए जो एनआरआई विवाहों के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में काम करेगा। रजिस्ट्री के पास उपलब्ध सभी जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

4.12. उक्त ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी निरीक्षण के लिए खुली रहेगी और प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि करने के के पश्चात् उक्त पोर्टल पर सुसंगत जानकारी के निरीक्षण की अनुमति देंगे, जिसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा और प्रस्तुत किया जा सकेगा। पोर्टल को सार्वजनिक रूप से सुलभ न बनाने के कई कारण हैं, जिसमें गोपनीयता से संबंधित चिंताएं और दुरुपयोग की संभावना शामिल है।

4.13. एनआरआई/ओसीआई विवाहों से जुड़े मामलों में, यह दोहराना आवश्यक है कि घरेलू न्यायालयों को ऐसे विवाहों से उत्पन्न मुद्दों को हल करने और समाधान करने की अधिकारिता होगी। ऐसे विवाहों में उत्पन्न होने वाले विवादों में अक्सर विवादों के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय विधिक प्रणाली के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। घरेलू न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान करने से यह सुनिश्चित होता है कि एनआरआई/ओसीआई विवाहों से संबंधित मामलों को देश की कानूनी प्रक्रियाओं के ढांचे के भीतर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकेगा, लागू विधियों पर विचार किया जा सकेगा और संबंधित पक्षकारों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सकेगी । ऐसा करके, न्यायालय सौहार्द और पारस्परिक ठहरावों के सिद्धांतों को ध्यान में रख सकेगा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44 ए द्वारा उदाहरण दिया गया है। यह उपबंध न्यायालय की विदेशी डिक्री को उसी प्रवर्तनीयता के साथ व्यवहार करने की क्षमता को रेखांकित करता है जैसे कि वे घरेलू स्तर पर जारी किए गए थे।

4.14. कोई भी विधि अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक कि लोगों को इसके बारे में व्यापक रूप से जानकारी न हो और वे इसका पालन न करें। कपटपूर्ण विवाह के मामलों को रोकने के लिए, जिसमें विवाह का पक्षकार एनआरआई/ओसीआई है, सरकार को अपने सामुदायिक कार्यक्रमों और भारतीय समुदायों और संगठनों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम

से विदेशों में भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़कर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विदेशों में काम कर रहे भारतीय संघों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर भी आयोजित किए किये जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि एनआरआई या ओसीआई के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाली महिलाओं और उनके परिवारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों को अभिहित किया गया है।

आयोग तदनुसार सिफारिश करता है।

ह0/-

[न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी]

अध्यक्ष

ह0/-

[न्यायमूर्ति के. टी. शंकरन्]

सदस्य

ह0/-

[प्रोफेसर (डॉ.) आनन्द पालीवाल]

सदस्य

ह0/-

[प्रोफेसर डी.पी. वर्मा]

सदस्य

ह0/-

[डॉ. रीटा वशिष्ठ]

सदस्य सचिव

ह0/-

[डॉ. राजीव मणि]

सदस्य (पदेन)

ह0/-

[एम. करुणानिधि]

अंशकालिक सदस्य

ह0/-

[प्रोफेसर (डॉ.) राका आर्या]

अंशकालिक सदस्य